छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **सप्तम् सत्र**

सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 24, शक सम्वत् 1947)

[अंक 03]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 24, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय, (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप हैदराबाद गये थे या दिल्ली गये थे। राहुल गांधी जी फुटबॉल खेले हैं तो आप यहां छत्तीसगढ़ में फटाखा नहीं फोड़वाये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- कल आपने यहां पर हमारा स्थान ग्रहण कर लिया था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आपका स्थान ग्रहण नहीं किया था। मैं अपने स्थान पर था। आप यह तो बताइये कि राहुल गांधी जी फुटबॉल को देखे या नहीं देखे?

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं देख पाये।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, राहुल गांधी जी फुटबॉल खेल रहे हैं करके आपको कम से कम यहां फटाखा फोड़वाना था।

डॉ. चरणदास महंत :- वह तो सब खेलते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप कल क्या खेल रहे थे ? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- एखर हा खो-कबड्डी हे।

समय :

11.01 बजे

निधन का उल्लेख

श्री शिवराज पाटिल, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल का दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को निधन हो गया।

अजय जी, जब निधन का उल्लेख होता है तो कृपया ध्यान इधर रहना चाहिए। आप मंत्री जी से बाद में बात कीजिएगा। मैंने निधन का उल्लेख कर दिया है।

श्री शिवराज पाटिल का जन्म दिनांक 12 अक्टूबर, 1935 को हुआ था। प्रारंभ से ही वे राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए लातूर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। सन् 1972 में पहली बार तथा

1978 में दूसरी बार महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा उन्होंने महाराष्ट्र विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। वे सन् 1980 से 2004 तक लगातार सात बार लोक सभा के सदस्य रहे। भारत सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद का दायित्व संभाला तथा आप लोक सभा के अध्यक्ष भी रहे। राज्य सभा में सदन के उपनेता भी रहे। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल के पद का दायित्व भी संभाला। अपने दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन में उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्राएं कीं एवं अनेक संसदीय राष्ट्रकुल सम्मेलनों में भाग लिया। संसदीय कार्यवाही का टेलीविजन में प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अध्ययन तथा लेखन में विशेष रूप से अभिरूचि थी। उनका दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा। उनके निधन से देश ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा कुशल प्रशासक को खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी के निधन पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री पाटिल जी ने जिन दायित्वों को निभाया, वे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के दायित्व रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश द्वारा जिस तरह terror को निर्यात करने और भारत में लगातार आतंकी गतिविधि का प्रयास किया जाता है, उसे देखते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री का दायित्व काफी अहम होता है। डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार में श्री पाटिल ने केन्द्रीय गृहमंत्री का दायित्व भी संभाला था। वे लोक सभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पाटिल ने सांसद, राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। श्री पाटिल लातूर का प्रतिनिधित्व करते थे। मराठवाड़ा का यह जिला जल संकट वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस समस्या को भी दूर करने के लिए श्री पाटिल ने पहल की। लातूर ने बड़ा भूकम्प भी झेला। श्री पाटिल के जैसे दिग्गज नेता होने की वजह से लातूर को भूकम्प के पश्चात संसाधन जुटाने में आसानी हुई। अध्यक्ष महोदय, उनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा और केन्द्रीय मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का मैं भी साक्षी बना, इसलिए आज बहुत सी स्मृतियां उभर रही हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। मैं पुन: शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से उन्हें यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह हम सब के लिये दु:ख का विषय है कि सदन का हर पहला दिन संसदीय जीवन में काम करने वाले हमारे किसी न किसी लोगों के निधन के उल्लेख से ही शुरू होता है। आज शिवराज जी पाटिल हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि आप सब को पता है कि वे दो बार के विधायक, लोक सभा के अध्यक्ष, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और गृहमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में लोकतंत्र का बहुत ही सम्मान करने का दायित्व निभाया है। संसदीय

परंपराओं के बारे में निष्पक्षता और गरिमा के लिये उनको विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। वे बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनकी सुंदरता, उनका ड्रेस देखकर ऐसा लगता था कि उनके पास जाकर खड़े हो जाओ और उनके साथ फोटो खिंचवा ले। वे बड़े ही सौम्य, सरल और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। हम सब को उनको देखने का और उनके पास रहने का सौभाग्य मिला है इसलिए उनका जाना हम सब लोगों के लिये दुःखद है। विधि और विधान में उनकी अच्छी पकड़ थी, जो उनको एक अलग पहचान देती थी और हम सब उसके कायल है। वे संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे। उनकी जीवनशैली सादगीपूर्ण थी, जिन सब के लिये वह जाने जाते रहे। वे देश के वरिष्ठ और सम्मानित सांसदों में आज भी गिने जाते हैं और गिने जाते रहेंगे। वे संसद और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों के लिये माने जाने वाले व्यक्ति रहे। आज हम सब जो विधायक के रूप में और सांसद के रूप में संसदीय जीवन जीते हैं, उनके निधन से हम सब को बड़ा दुःख हुआ है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन करें, स्थान दें और उनके परिवारजनों को यह दुःख सहन करने की क्षमता दें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित।

(11.08 से 11.20 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय
11.20 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री टी.एस सिंहदेव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में पूर्व उप-मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव जी उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है। (मेंजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल करने वाली इंसीनरेटर मशीन की जारी निविदा

[महिला एवं बाल विकास]

1. (*क्र. 227) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक जिलेवार किन-किन स्कूलों तथा कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल करने वाली इंसीनरेटर मशीन हेतु निविदा कब-कब प्रसारित की गई? इस निविदा में सफल निविदाकार कौन-कौन सी फर्म हैं? इन फर्मो को जिलेवार उक्त स्कूलों में मशीन स्थापित/सप्लाई कार्य हेतु कार्यआदेश किन-किन मशीनों व कितनी राशि का जारी किया गया? उक्त कार्य आदेश के परिपालन में किन-किन फर्मो द्वारा समयावाधि में कार्य पूर्ण किया गया व किनके द्वारा नहीं किया गया है? समयावधि में कार्य नहीं करने वाली फर्मो के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई है? इनके द्वारा किए गए कार्यो का मूल्यांकन किस-किस समिति के द्वारा किया गया व इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं? जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका (क) अनुसार उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा कुल कितना बजट उपलब्ध कराया गया व फर्मो को व्यय/भुगतान कब-कब किया गया है? कितना शेष है? वर्षवार,फर्मवार जानकारी देवें? **(ग)** उक्त निविदा के संबंध में प्राप्त शिकायत पर या स्वतः संज्ञान के आधार पर कब-कब जांच समिति बनाई गई व शिकायत/जॉच की अद्यतन स्थिति क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में स्कूलों तथा कॉलेजो में सेनेटरी नेपकीन, वेंडिग मशीन एवं इंसीनरेटर मशीन के क्रय हेतु विभाग द्वारा निविदा प्रसारित नहीं की गयी है अपितु तत्समय प्रर्वत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किए गए दर अनुबंध के आधार पर क्रय की कार्यवाही की गयी है। निविदा न किए जाने के कारण शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को शुचिता योजना अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में उल्लेखित वित्तीय वर्ष हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधान रखा गया है:-

क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान
1	2019-20	06 करोड़ रूपये
2	2020-21	10 करोड़ रूपये
3	2021-22	6.50 करोड़ रूपये
4	2022-23	11 करोड़ रूपये
5	2023-24	12 करोड़ रूपये

विभाग द्वारा फर्मों को किए गए भुगतान की वर्षवार, फर्मवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र**[1] **अनुसार है।** किसी भी फर्म का भुगतान शेष नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश अवधि में निविदा जारी नहीं की गई थी, अतः निविदा में प्राप्त शिकायत/स्वतः संज्ञान के आधार पर जाँच **समिति की जानकारी निरंक है।**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नये विधान सभा का प्रश्न के दृष्टिकोण से आज प्रथम दिवस है और इस पहले प्रश्न में महिला बाल विकास मंत्री जी प्रश्नों का जवाब देंगी।

अध्यक्ष महोदय :- एक तरफ धरम है और एक तरफ लक्ष्मी है। पहला दिन है और पहला प्रश्न है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला दिन, नये विधान सभा भवन में और पहला प्रश्न का जवाब महिला बाल विकास मंत्री जी महिलाओं की योजना को ले करके देंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे, उस समय सूचिता योजना लागू की गई थी। उस योजना का उद्देश्य बालिकाओं, महिलाओं के कल्याण के लिये था। उसके बाद में मैंने जो इसमें प्रश्न किया है कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक मशीन की जो खरीदी की गई, उसकी जिलेवार जानकारी स्कूल, कालेज में कहां-कहां उस मशीन को इंस्टाल किये हैं, लगाये हैं, मैंने प्रश्न किया है, लेकिन माननीय मंत्री महोदया जी ने जवाब दिया है, वह जवाब को आप एक बार देखेंगे, वह जवाब परिशिष्ट-एक में है। एक बार आप उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें न जिले की, न स्कूल की, न कालेज की जानकारी है कि यहां पर कब सप्लाई किये हैं, कितने दिन में सप्लाई करना था, मशीन का रखरखाव क्या है, आज बंद है या चालू है? यह जो जवाब आया है, अपने आप में अपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं इसको आगामी तारीख के लिये लगा देंगे तो जवाब तब तक आ जायेगा, मैं प्रश्न कर लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप खुद नहीं चाहते कि आपको तत्काल जवाब मिले?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि इसमें जो जानकारी दी गई है, मैंने जो प्रश्न किया है, वह जानकारी इसमें नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि आप उसको देख लीजिए। इसमें न जिले का, न कालेज का, न स्कूल का नाम है। कहां-कहां मशीन का इंस्टाल किये, वह भी नाम नहीं है। उसमें पूछना क्या है?

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटे-छोटे प्रश्न कर लीजिए न। आज पहला दिन है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कर लेता हूं लेकिन इसका जवाब नहीं आयेगा। इसको आगामी तारीख के लिये बढ़ाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आपका प्रश्न और उनके जवाब की संतुष्टि के बाद होगा। आप पहले छोटे-छोटे प्रश्न कर लीजिए।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आप इसमें पहले तो यह बता दीजिए कि आपने जो जवाब दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न छोटा-छोटा करने का निर्देश हुआ है न। आसंदी के निर्देश के बाहर मत जाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं छोटे-छोटे कर लेता हूं। वैसे भी हम माननीय मंत्री जी से ज्यादा प्रश्न करते नहीं हैं। इसमें एक तो आप यह बतायें कि हमने जो प्रश्न जिलेवार किया है तो कौन-कौन से जिले में, कौन-कौन से स्कूल, कालेज में जो मशीनों का इंस्टाल किये हैं, उसकी समयावधि क्या थी? यह जो आप फर्म का नाम दिये हैं, इसने किस-किस समय में मशीनों का इंस्टाल किया है, आप इसी को बता देंगी।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी ने बच्चों से संबंधित जो जानकारी मांगी थी, इसमें जो जानकारी दी गई है, क्योंकि उनकी जानकारी के आधार पर पूरे विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि मेरे पास पूरी जानकारी है। अगर जिलेवार या स्कूलवार जानकारी के लिये बोलेंगे तो मैं वह जानकारी उन्हें स्वयं उपलब्ध करा दूंगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि इसमें विभाग के द्वारा पूरा जवाब नहीं आया है और जवाब नहीं आया है तो उसमें प्रश्न कहां से करना है। माननीय मंत्री जी खुद स्वीकार कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह यह स्वीकार कर रही हैं कि आपको जिलेवार जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी उपलब्ध कराने की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जो चाहते हैं, वह जानकारी आपको उपलब्ध हो जायेगी। उनको ये कहना है कि आप उनसे जानकारी ले लेना।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर उसमें ये है कि यदि आपके पास पूरी जानकारी है तो आप मुझको दे दीजिए। बाद में प्रश्न फिर करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठ जाईये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब जानकारी ही नहीं है तो उसमें क्या प्रश्न करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । अभी आप पूरे संतुष्ट नहीं हैं, मगर इनका जवाब आ जायेगा तो उसका अध्ययन कर लेंगे फिर कोई प्रश्न होगा तो कर लेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, आपने इसमें यह नहीं बताया कि उसमें जैसे मशीन स्टॉल किये, उसका सत्यापन किया जाता है न । सत्यापन करते हैं न कि मशीन ठीक लगी है या नहीं लगी है, चालू है या नहीं है । इसका सत्यापन कब-कब किया गया और आप थोड़ा सा यह बता दें कि उसके सत्यापन के लिये कौन-कौन से अधिकारी थे ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने वर्ष 2020 से 2023 की जो जानकारी चाही थी उस समय सी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा रेट कांट्रेक्ट के आधार पर किया जाता था और इसमें जो गुणवत्ता का परीक्षण होता था, वह 4 इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता था ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप यह बता दीजिये न कि कौन-कौन अधिकारी थे और लगाने के बाद में उसका सत्यापन कब किये ? उसकी तारीख बता दें और अधिकारी का नाम बता दें ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सी.एस.आई.डी.सी. के तहत् रेट कांट्रेक्ट के द्वारा होता है और इसमें 4 एजेंसी हैं । 4 एजेंसियों के द्वारा उसका सत्यापन होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, ठीक है । 4 एजेंसियों के द्वारा सत्यापन हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप यही बता दीजिये कि कौन-कौन सी एजेंसी हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एजेंसियों के नाम बताना चाहूंगी । सी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा जो अनुबंध किया गया था । 4 एजेंसियों में I.R. Plus Systems and Solution Bhopal Project and Development India Limited Kolkata, Riced Limited Mumbai, S.G.S India Private Limited Bhopal.

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या आप इसकी तारीख बतायेंगे ? आप सभी का मत बताईये, आप 2-3 की तारीख बता दीजिये कि मशीन लगाने के कितने दिन के बाद में सत्यापित किये हैं ? आप सभी का मत बताईये, 2-3 का बता दीजिये । स्कूल का नाम बता दीजिये और कब सत्यापित किये, आप 2-3 का बता दीजिये ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्कूल का नाम बता दूंगी, मैं तारीख की जानकारी उपलब्ध करा दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, बहुत लंबी सूची है । चलिये, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि जिस उद्देश्य के लिये मशीन की खरीदी की गयी, स्टाल किये गये । वास्तविक में यह है कि वह मशीन चल ही नहीं रही है और खराब स्थिति में है और न ही उसके मेंटेनेंस का कोई प्रावधान किया गया है तो जो उद्देश्य है वह उद्देश्य विफल हो गया तो मैं आपसे केवल यह जानना चाह रहा हूं या यह कहना चाह रहा हूं कि क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

वैसे यह आपके समय का नहीं है, आप चिंता मत करें । आपको तो यह है कि जो उपयोग होना चाहिए और नहीं हुआ तो उसकी जांच करायेंगे तो उसमें भला होगा ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की जानकारी के अनुसार जो मशीनें प्रदाय की गयीं, मैं उसकी संख्या माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि में सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो यह 2943 मशीनें प्रदाय की गयी हैं उसमें जो संख्या सही है वह 1613 है और जो खराब है वह 1330 है । माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब रेट कांट्रेक्ट होता है, सभी की समयावधि होती है, वारंटी पीरियड होता है तो वारंटी 1 वर्ष की है और जब सामान प्रदाय किया जाता है, जहां से लिया जाता है वहां टोल फ्री नंबर भी होता है, विभाग को अभी तक कहीं पर की भी शिकायत की ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, चूंकि विभाग को जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, किसी ने शिकायत नहीं की है कि यहां की मशीन खराब है तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य को यही अवगत कराउंगी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप जो रूआंबाधा हाई स्कूल है, मैं आपको पर्टिकूलर बता देता हूं । आप वहां के 2 स्कूल की जांच करा लीजिये । इतना करवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- सिर्फ 2 स्कूल की जांच करायेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- केवल 2 स्कूल का ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- ठीक ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । क्रमांक-2 ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है और जो बाकी जानकारी है, उपलब्ध कराने के बाद अध्यक्ष जी का निर्देश है, आप मुझे वह जानकारी उपलब्ध करा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह आपको दे देंगे । बैठिए ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- बिल्कुल ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 2 । श्रीमती रेणुका सिंह सरूता ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 02 श्रीमती रेणुका सिंह सरूता। आप प्रश्न संख्या 01 में ही प्रश्न करना चाह रहे हैं?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल आधा सेकण्ड का समय ही लगेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे वह चीज उनके उपयोग की नहीं है तो वह बात कर रहे थे तो मैंने भी सोचा कि मैं इसमें बात कर लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए। अब आपको तो मना नहीं हो सकता है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चीज, माननीय प्रश्नकर्त्ता वरिष्ठ विधायक जी के उपयोग का नहीं है। उस विषय में इतनी लम्बी चर्चा करना, क्या उचित है ?

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत अंतर्गत मोबाईल टॉवर की स्थापना

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

2. (*क्र. 363) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुख्यमंत्री टॉवर योजना शुरु करने का उदेश्य क्या है, विधानसभा क्षेत्र भरतपुर- सोनहत के कितने गांव में मोबाईल टॉवर नहीं हैं? **(ख)** मुख्यमंत्री टॉवर योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत के कितने गांवों का चयन किया गया है? **(ग)** दिनांक 20 नवंबर, 2025 की स्थिति में इन गांवों में टॉवर लगाने के काम की अद्यतन स्थिति क्या है? **(घ)** क्या लक्ष्य की पूर्ति हो गई है, नहीं तो कब तक होगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्तमानमे मुख्यमंत्री टॉवर योजना शुरु नही हुई है। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त जानकरी अनुसार विधानसभा क्षेत्र भरतपुर- सोनहत के अंतर्गत लगभग 337 ग्रामों मे से 47 ग्रामों में मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नही हैं।**(ख)** वर्तमानमे मुख्यमंत्री टॉवर योजना शुरु नही हुई हैअतःशेषप्रश्नउद्भुतनहीहोताहै। **(ग)** दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त जानकरी अनुसार नेटवर्क विहीन 47 ग्रामों मे से 40 ग्रामों को मोबाईल नेटवर्क से जोडने हेतु DBN द्वारा वित्तपोषित योजनान्तर्गत टावर स्थापना का कार्य प्रगति पर है। **(घ)**वर्तमान में मुख्यमंत्री टॉवर योजना शुरु नही हुई है अतः शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग से जानकारी चाही है। भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में मुख्यमंत्री टॉवर योजना शुरू हुई है और आज अद्यतन स्थिति क्या है ? मुझे इसकी जानकारी मिली है कि भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 337 ग्रामों में से 47 ग्रामों में मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर 337 गांव नहीं, बल्कि 410 गांव हैं, वहां 190 ग्राम पंचायतें हैं और मेरे पास भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र के गांवों की जानकारी है कि वहां 410 गांवों में से कितने गांवों में मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। भरतपुर सोनहत विधान सभा क्षेत्र दो जिलों में बंटा हुआ है, जो एम.सी.बी. और कोरिया है। मुझे एम.सी.बी. जिले के कलेक्टर ने लिखित जानकारी दी है कि एम.सी.बी. जिले के 93 ग्रामों में मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और मुझे कोरिया जिले के कलेक्टर ने लिखित जानकारी दी है कि वहां के 104 गांवों में से 32 गांवों में मोबाईल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन दोनों कलेक्टरों ने निवार्चन

आयोग को भी यह जानकारी दी है और मनेन्द्रगढ़ कलेक्टर ने चिप्स के सी.ई.ओ. को पत्र लिखा है। मेरे पास यह दोनों जानकारी है और मैंने 22 अप्रैल को भारत सरकार के संचार मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 410 गांवों में से 125 गांवों में मोबाईल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मेरे पास 29 मई को उसका जवाब भी आया था। मुझे हमारे यह अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं या तो फिर इनके कलेक्टरों ने जानकारी दी है और मुझे यह भारत सरकार के पत्र की जानकारी भी है तो मैं इसमें से किसे सही मानूं ? वहां 337 ग्रामों में से 47 ग्रामों में मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है या तो फिर वहां पर 410 गांवों में से 125 गांवों में मोबाईल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसमें से मैं किसको सही मानूं?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया का विधान सभा क्षेत्र 2 जिलों में है, जिनमें जिला कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। दूरसंचार विभाग के अनुसार इनके विधान सभा क्षेत्र में कुल 337 ग्राम हैं, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 290 गांवों में नेटवर्क कवरेज है, वहां 47 ग्रामों में मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें से भी 40 ग्रामों में मोबाईल नेटवर्क से जोड़ने हेतु स्वीकृति हो गई है। वहां पर काम चालू है और हमने भारत सरकार को 5 हजार नये टॉवर के लिए पत्र लिखा था। मैं बताना चाहूंगा और यह जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी 10 दिसम्बर को ही 513 टॉवरों की स्वीकृति मिली है जिसमें जो 7 गांव बचे थे, वह भी स्वीकृत हैं।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यह जानकारी दी कि मनेन्द्रगढ़ के 93 गांवों और कोरिया जिले के 32 गांवों का बताना चाहूंगी कि यह दोनों कलेक्टरों का पत्र है, उन्होंने चिप्स को पत्र लिखा है कि इतने गांव में नेटवर्क नहीं है । जब भी चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी जाती है । मेरा यही प्रश्न था कि मैं किसे सही मानूं ? भारत सरकार का पत्र है । मैंने संचार मंत्री को 125 गांवों की जानकारी दी और 125 गांव की जानकारी में इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 125 गांव में से 81 गांवों को 4जी सैचुरेशन परियोजना में शामिल किया जा रहा है । उन्होंने 5 गांव, फिर 5 गांव और 7 गांव वाली 125 गांव की स्पष्ट जानकारी दी है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहती हूं कि भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है और जब मैं भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय में मंत्री के रूप में काम कर रही थी तो इस योजना की शुरूआत उसी समय ही हुई थी इसलिए मुझे थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी जानकारी है तो छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजाति आती हैं, पूरे देश में 75 जातियां हैं, उनमें से 5 जातियां बैगा, कम्हार, बिरहोर, अबुझमाड़ियां और पहाड़ी कोरवा हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है । इसमें से बैगा जाति हमारे भरतपुर में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं । प्रधानमंत्री जनमन योजना में यह प्रावधान किया गया है कि जहां पर भी यह जातियां निवास करती हैं, वहां पर उनके सभी प्रकार की सुविधाओ के लिए चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क हो, इसकी व्यवस्था की जाती है । इसके साथ-

साथ दूर संचार के लिए भी प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से मोबाईल टावर लगाए जा सकते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही हूं और उनसे आज चाहूंगी वे आज सदन में घोषणा कर दें कि बैगा जाति भरतपुर में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है तो प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी टावर लगाने का काम किया जा सकता है ।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को दिखवा लेता हूं और मैं सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार को 5 हजार टावर के लिए पत्र लिखा गया है और उसमें से 513 टावरों की स्वीकृति मिली है और बाकी में भी बी.एस.एन.एल. के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और मैं व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय मंत्री जी से सम्पर्क में भी हूं । उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे आगे और स्वीकृति देंगे तो माननीय महोदया के विधान सभा क्षेत्र में टावर लगेंगे, वे निश्चिंत रहें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रीमिटिव्ह बाहुल्य गांव में शत-प्रतिशत टावर लग जाये, यह रेणुका जी की मांग है तो आपने कह दिया कि उन सारे गांव में शत-प्रतिशत टावर लगवा दिया जाएगा ।

श्री विष्णु देव साय :- जी हां, टावर लगवाएंगे ।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा था, तब हम सबने बहुत मेज थपथपाई थी और माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिन बजट में बताया था कि मुख्यमंत्री मोबाईल टावर योजना शुरू की जाएगी और प्रदेश भर में 500 मोबाईल टावर लगाए जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न में यह जानकारी दी है कि अभी मुख्यमंत्री टावर योजना की शुरूआत नहीं हुई है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि मुख्यमंत्री टावर योजना की शुरूआत कर दें क्योंकि अब अगला बजट सत्र भी आने वाला है तो अगले बजट सत्र के पहले इस टावर योजना की शुरूआत हो जानी चाहिए । जैसे आजकल भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की अधिकतर योजनाएं अब ऑनलाईन चलती हैं, हमारी जनता को बहुत परेशानी होती है । वहां सोनहत का आखरी गांव है-दशेर । दशेर से सोनहत ब्लॉक मुख्यालय की दूरी 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है और उस एरिया में बिल्कुल कोई टावर नहीं है । वहां किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, कोई बीमार पड़ता है, किसी का एक्सीडेंट होता है और यह जो तमोर पिंगला वाला अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहां यदि जानवरों से किसी को नुकसान होता है तो ये लोग वहां से मोटर साईकिल से सोनहत और बैकुन्ठपुर आते हैं और यहां से एम्बुलेंस को ले जाने की जानकारी देते हैं । जब तक वे यहां पहुंच पाते हैं, तब तक मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है और अभी धान खरीदी का समय चल रहा है, सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि "टोकन तुंहर द्वार" पर हमारे क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी ने कुछ गांव के नाम चिह्नांकित किये हैं, आप उनसे लिस्ट लेकर उसको भी कर देंगे, जो आप चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का सर्वे करा दीजिए ।

श्री विष्णु देव साय :- और कुछ बचा है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- रेणुका जी, आप मुख्यमंत्री जी का जवाब सुन लीजिये।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरसंचार विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है, वह सही है। हमने बताया है कि 513 गांवों में जो टावर स्वीकृत हुए हैं,एल.डब्ल्यू.ई. और जनमन योजना से ही हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-3 श्री बघेल लखेश्वर। शायद आज गुरू खुशवंत जी मंत्री बनने के बाद पहली बार जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, आप अच्छा प्रश्न करिये और गुरू जी से अच्छा जवाब लीजिये।

छ0ग0 में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयास

[तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

3. (*क्र. 147) श्री बघेल लखेश्वर : क्या कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ0ग0 राज्य में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या (शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यतावार) वर्गवार पृथक-पृथक बतावें ? **(ख)** छ0ग0 राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होने राज्य शासन के द्वारा किये जा रहे प्रयास कार्ययोजना तथा प्रस्तावित लक्ष्य एवं इसके लिए निर्धारित समयावधि बतावें ?

कौशल विकास मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) :(क) छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या 11,39,656 है। (शैक्षणिक तकनीकी एवं व्यावसायिक, योग्यतावार) वर्गवार की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ'** अनुसार है।**(ख)** छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-ब'** अनुसार है।

श्री बघेल लखेश्वर :- चलिये, गुरू जी आपको बहुत-बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बेरोजगारों का मामला है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या छत्तीसगढ़ में है। यह मेरा पहला प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से गंभीरता से उत्तर दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, बेरोजगार, बेरोजगारी तथा उसकी संख्या, उसका पंजीयन, उमेश पटेल जी उसके विशेषज्ञ हैं। वह पिछले 5 साल तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाये थे। वह घूमा-घूमाकर बोलते थे। आप उनसे जानकारी ले लो।

श्री उमेश पटेल :- आप अभी तो पूछ लीजिये कि उनके पास जानकारी उपलब्ध है या नहीं ? आप एक बार पूछ तो लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ही उनको जानकारी दे दो।

श्री उमेश पटेल :- आपको सिर्फ सिर घुमाना है। आप एक बार घूमकर पूछ लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो 5 साल तक जानकारी को घुमाते रहे हैं, आप उसको जानकारी दे दो।

श्री रामकुमार यादव :- तुहंर उत्तर हा 2047 मा मिलही।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं लखेश्वर भाई से आग्रह करूंगा कि अजय चन्द्राकर जी को प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत कर दें। (हंसी) उत्तर मिल जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर देने लायक तो अभी भी उमेश पटेल जी ही हैं। क्योंकि उन्होंने 5 साल तक छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को सिर्फ ठगा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी तो आपकी सरकार से उत्तर ले रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- यह उमेश पटेल हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। आपने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की जीवित पंजीयन संख्या 11,39,656 बताई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 11,39,656 बेरोजगारों का पंजीयन किन-किन वर्षों में पंजीयन किया गया है। वर्ष 2024-25 में कितने बेरोजगारों के पंजीयन हुए ?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2024 तक की जानकारी मांगी थी, मैंने वर्गवार जानकारी मांगा था कि सभी वर्गों में कितने-कितने बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है, मैंने आपको वर्ष 2024 की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है। मैंने आपको शैक्षणिक स्तर के आधार पर जानकारी भी उपलब्ध करा दिया है। मैंने आपको जानकारी परिशिष्ट के माध्यम से दिलवा दिया है।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, किस-किस वर्ग की है और वर्ष 2024 में कितने बेरोजगारों के पंजीयन हुए, इसकी जानकारी चाह रहा था ? आपने वर्गवार जानकारी तो दी है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, महिला की जानकारी दी है। परिशिष्ट में महिला बेरोजगारों की संख्या 5,29,551 दी है। इसमें से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति की संख्या इसके अंदर है या अलग से है ? इसको जोड़ने से कुल 16,69,207 पंजीयन संख्या होती है। आपने अनुसूचित जाति और जनजाति की पंजीयन संख्या बताई है। साथ में भूतपूर्व सैनिक, विकलांग पुरूष कितने हैं, यह सब बता देते तो ठीक रहता। विकलांग लोगों अलग पंजीयन होता है, भूतपूर्व सैनिक के भी पंजीयन होते हैं। इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष जी, 1.4.2024 से 30.11.2025 तक जो रोजगार इच्छुक लोग हैं, उसमें अभी उनके 4,08,201 बेरोजगार लोगों का पंजीयन हुआ है। लगभग 15,47,857 रोजगार इच्छुक लोगों का पंजीयन हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में उमेश बघेल जी बेरोजगारों का पंजीयन ही नहीं करते थे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबसे पहले इनको बोलिये कि वह मेरे नाम को मत बिगाड़े।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कागज दिखा सकता हूं। अभी कागज दिखा सकता हूं। मैं आपको आपके उत्तर का कागज दिखा सकता हूं कि मैं आपको अभी आपके प्रश्न के उत्तर का कागज दिखा सकता हूं कि आपने पंजीयन नहीं किया है। वे तो कम से कम कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कल से कंफ्यूज हो गए।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, कुछ भी कुछ दे दिहौ गा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लेकिन रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं है। सभी बेरोजगार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, उनकी आपत्ति दूसरी है। वे बोल रहे हैं कि आप उनका नाम बिगाड़ कर बोल रहे हैं। (हंसी) आप नाम सही बोलिए, यह बोल रहे हैं। उमेश बघेल नहीं, उमेश पटेल।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, उमेश बघेल सॉरी उमेश पटेल। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप प्रश्न करिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- जी, अध्यक्ष महोदय, हर साल लगभग 5 से 8 लाख लोग 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य में उत्तीर्ण होते हैं और सिर्फ इतने सालों में सिर्फ 11,39,656, तो यह आंकड़ा थोड़ा समझ से परे है। मंत्री जी, इसको दिखवा लेंगे और साथ में आपने उत्तर दिया है कि 10,16,110 लोगों को विभिन्न तरह के शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता अनुसार अलग-अलग उनके प्रशिक्षण देने की बात किए हैं, जिसमें आपने वर्ष 2024 में 311 आयोजित रोजगार मेला/ प्लेसमेंट कैंप लगाए, जिसमें 30,900 लोगों ने भाग लिया, 30,900 लोगों में से 5,314 लोग चयनित हुए और वर्ष 2025-26 में 245 कैंप लगाए, 23,478 लोग भाग लिए और 4,149 लोग चयनित हुए तो इतने लाखों में सिर्फ एवरेज आता है कि 17 से 18 लोग ही उपस्थित हुए। 17 से 18 लोग ही रोजगार मेले में उपस्थित हुए तो कितने लोगों को कौन-कौन सा वर्ग में नौकरी दिए, कौन-कौन सा काम दिए, थोड़ा स्पष्ट कर देंगे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष जी, यह रोजगार मेला और रोजगार कैंप लगाया जाता है तो जो इंस्टीट्यूशन में लगता है, वह रोजगार कैंप है और रोजगार मेला लगाया जाता है, जिसमें

हम बहुत सारे कंपनियों और स्थानीय कंपनियों को बुलाते हैं और वहां उस क्षेत्र के और पूरे प्रदेश से वहीं के बच्चों को भी बुलाते हैं और वहां पर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद उसमें उन लोगों का सिलेक्शन होता है। यह लगातार वर्ष 2024 और 2025 दोनों का डिटेल मैंने आपको दिया है और इसके अलावा आने वाले भविष्य में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय रोजगार मेला बहुत जल्द करेंगे, जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिए हैं और उसमें लगभग 50,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, जिसमें 14,000 रिक्तियां पद भी आई है, उसकी रिक्वायरमेंट आयी है तो एक साथ 14,000 से भी ज्यादा लोगों को हम लोग रोजगार उसके माध्यम से देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री बघेल लखेश्वर :- धन्यवाद, कोई बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- अब बहुत अच्छा जवाब तो आ गया।

श्री उमेश पटेल :- बस एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जो पिछली सरकार ने शुरू किया था तो क्या आप उसे चालू रखे हैं या बंद कर दिए हैं?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय अध्यक्ष जी, हम हमारे युवाओं को सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं ताकि वह सक्षम बनें, रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने वे बनें, इसके लिए काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री उमेश पटेल :- आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था और आपके सारे मंत्रियों ने इसको जोर-जोर से भाषणों में कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये अजय जी जो आपके साथ बैठे हैं, ये पांच साल यही प्रश्न पूछते रहे कि बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हो? कब दे रहे हो? जब हमने चालू किया तो आपकी सरकार आते ही आपने उसको बंद कर दिया । उसको कब चालू करेंगे, यह बताइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने दिया कितना, यह बताइए।

श्री उमेश पटेल :- आप उसको चालू कब करेंगे, बस यह बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, हो गया। अब आगे प्रश्न करिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक उत्तर दे दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया।

श्री उमेश पटेल :- आप यह चालू कब कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप मजबूर नहीं कर सकते।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं कि कब कब चालू करेंगे, उतना बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना बंद नहीं हुई है। पिछले सत्र में मुझे लिखित उत्तर दिया है कि यह बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुई है। यह सरकार का लिखित उत्तर है। पिछले विधान सभा सत्र में उन्होंने दिया है। तो बंद नहीं हुई है तो दे क्यों नहीं रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो कम से कम बेरोजगारी का पंजीयन कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- भैया, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आप मंत्री नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इनको बोल रहा हूं भैया। मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री भूपेश बघेल :- मैं प्रश्न कर रहा हूं। वे आगे बढ़ गए हैं दादा। मैं मंत्री जी से यह पूछ रहा हूं कि जब योजना बंद नहीं हुई है तो दे क्यों नहीं रहे हैं? बजेटेड है। बजट में है तो दे क्यों नहीं रहे हैं?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- अध्यक्ष महोदय, पिछली शासनकाल में हमारे युवा रोजागारों में से जो रोजगार के इच्छुक होते हैं, उनको रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने हमारी सरकार आने के बाद इसको ऑनलाईन किया है। हम ई-रोजगार पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर रहे हैं। इसके बाद हमने रोजगार एप्प भी बनाया है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असत्य बात है। हमने ऑनलाईन प्रक्रिया की शुरूआत की थी। अजय जी, आप यह प्रश्न पूछ लीजिये कि बेरोजगारी की क्या परिभाषा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी सरकार ने क्या किया है, उसका दस्तावेज मेरे पास में है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जब आपके घोषणा-पत्र में था, जब यह योजना बंद नहीं हुआ है तो आप उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री उमेश पटेल :- यह पिछले कार्यकाल में आपने शुरू नहीं किया है। आप गलत बयान दे रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को [xx] है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप बेरोजगारी भत्ता दे दीजिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सब घोटाला आपके द्वारा हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- जब बजट में प्रावधान है तो आप बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? लिखित में उत्तर है। आपने उसको बजट में शामिल किया है। लिखित में उत्तर है कि योजना बंद नहीं हुआ है तो आप बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हैं? पूरा सत्र निकल गया है। सिर्फ यही पूछना है कि आप बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हैं?

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमने बनाया है, हम ही [xx]

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, बैठ जाईये। इस प्रश्न में इस संबंध में जानकारी नहीं चाही गई थी। यदि आप आगे जानकारी चाहेंगे तो उसका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। अभी आप इस प्रश्न को पूरा पढ़कर देख लीजिये। इसमें अलग से भत्ते एवं बाकी विषय की जानकारी नहीं थी। अब आप अगला प्रश्न में आ जायें।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी थी, उसके बाद उमेश जी ने प्रश्न पूछा और वह कह रहे हैं कि योजना है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने प्रश्न कर लिया और मंत्री जी ने जवाब दे दिया। इतना ही पर्याप्त है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सीधी-सीधी बात है कि बजट में रहकर भी सरकार यह योजना संचालित नहीं कर रही है। यह बेरोजगारों के साथ धोखा है। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
11:52 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आप लोगों ने पांच साल में कितना भत्ता दिया है, यह बताते जाओ, भाई।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[आदिम जाति विकास]

4. (*क्र. 52) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" कब से संचालित है? इसके

उद्देश्य क्या है? कितने चरण पूर्ण हो चुके हैं तथा वर्तमान में कौन सा चरण संचालित है? इसके अंतर्गत राज्य के कितने ग्रामों को शामिल किया गया, जिलावार बतायें? **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? विगत 3 वर्षो में कितनी-कितनी राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त हुयी और किन-किन कार्यो में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? **(ग)** उक्त अभियान अंतर्गत भौतिक स्थिति क्या है? कार्यो का लक्ष्य निर्धारण कब तक है? एवं लक्ष्य के अनुरूप क्या आगे/पीछे चल रहा है? यदि पीछे है तो उसका कारण क्या है एवं उसके लिए दोषी कौन है तथा उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? इस अभियान की अब तक क्या-क्या उपलब्धियां हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" योजना का शुभारंभ 02 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झारखण्ड राज्य से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं आकांक्षी जिलों में निवासरत जनजातीय परिवारों के संतृप्तिमूलक कवरेज के माध्यम से सुधार करना है। अभियान चरणबद्ध न होकर सम्पूर्ण अवधि (वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) के लिए है। छ.ग. शासन के आदिवासी विकास विभाग को अभियान के संचालन/क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.12.2025 द्वारा सिकल सेल के रोकथाम हेतु सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस (CoC) के प्रस्ताव पर स्वीकृति तथा पत्र दिनांक 27.01.2025 द्वारा 05 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र एवं वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2025-26 में छात्रावास आश्रमों के उन्नयन अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचना कार्यों के लिए राशि रूपये 707.3709 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अभियान अंतर्गत राज्य के 32 जिलों के 6691 ग्राम शामिल है। जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र[2] 'अ'** अनुसार है । **(ख)** उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार के संबंधित विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह अभियान 02 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुआ है। विभागवार राज्य सरकार तथा भारत सरकार से मदवार प्राप्त राशि एवं कार्यवार व्यय संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है । **(ग)** अभियान अंतर्गत विभागवार कार्यों की भौतिक स्थिति जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। यह अभियान पांच वर्षो के लिए संचालित है। कार्यों का लक्ष्य निर्धारण अभियान की अवधि वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है तथा निर्धारित अवधि के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है, जिसे अभियान की निर्धारित अवधि में संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण किया जाना है। कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नही होता। अभियान में अब तक प्रगति/उपलब्धि संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार हैं।

[2] परिशिष्ट "तीन"

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, "धरबी आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान" में मेरा एक प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से छोटा-छोटा प्रश्न करना चाहूंगा। इसकी कार्ययोजना कितने विभागों ने बनाई है? कार्ययोजना कितनी अवधि के लिए बनी है और उसमें कौन से घटक शामिल हैं?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विद्वान सदस्य की ख्याति दूर-दूर तक फैलती रहती है। आज वे बड़े ही एक समसामयिक विषय को लेकर खासकर भारत सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत ही एक महत्वकांक्षी योजना "धरबी आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान" लागू हुआ है, उसके संदर्भ में उन्होंने प्रश्न किया है। इस योजना के तहत बुनियादी संरचना, भारत विकास, उन्नत आवास, बारहमासी सड़क, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, संपूर्ण विद्युतीकरण एवं डिजीटल कनेक्टिविटी, आर्थिक रूप से सशक्त कौशल विकास, उद्यमिता, प्रौगोगिकी, कृषि संबद्ध गतिविधियां सहयोग, इन सबकी चिंता करते हुए एक वृहद कार्ययोजना बनाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो राज्य के राज्यों में जनजाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनके विकास के लिए देश भर के जितने राज्य हैं, उन राज्यों के सभी का लगभग 80 हजार करोड़ रूपये का एक प्रोजेक्ट बनाकर उसकी घोषणा हुई और उसके तहत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिम गैस मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुषस मंत्रालय, दूरसंचार, कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रिकल, कृति किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशु पालन, डेयरी, पंचायती राज, परिवहन, इन सब मंत्रालयों के माध्यम से ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके स्टाईल को समझ रहा हूँ ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ । अगर व्यवस्था नहीं देंगे, अब बताईये ? मैं आ रहा हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, सीनियर आदमी है, मैं जानता हूँ कि मुझको कहां ले जा रहे हैं ? मैंने एक छोटी सी बात कही है...।

श्री रामविचार नेताम :- मैं विस्तार से बात कर रहा हूँ, सोचो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे को छोटी सी चाहिये । (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- बात आ जाये । मैं विस्तार करते हुये...।

श्री अजय चन्द्राकर :- विस्तार में नहीं चाहिये ना ? मैंने इतना ही कहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से विभाग हैं, चलिये मंत्रालय बता दिये । मैं आगे बढ़ जाता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अगला प्रश्न कर लीजिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप परिशिष्ट देख लीजिए । दो प्रश्न करूँगा, इसके बाद एक छोटा सा है, अच्छा इसी में कर देता हूँ । आपने सीओसी सेंटर ऑफ कमिटमेंट की स्थापना सिकलसेल के लिये एक

बार 60 लाख रूपये दिये, उसकी प्रस्तावित राशि 7 करोड़ 80 लाख है । आपने दूसरा पैसा दिया, उसमें वर्ष 2024-2025 में सिकलसेल, एनीमिया की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि 2 करोड़ रूपया, यह राशि दोनों एक ही योजना में है कि अलग-अलग योजना में है, एक ही संस्था को दी है, अलग-अलग संस्था को दी है, इसके काम कौन से ईयर में शामिल है, कब पूरे करेंगे, यह बता दीजिए ? दूसरा, मैं आपके शासन-प्रशासन में नहीं बोलूँगा, आपके अधिकारियों ने ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में जानकारी ही नहीं दी है, छत्तीसगढ़ में ड्रिप और स्प्रिंकलर लगने के लक्ष्य कितने थे, प्रथम वर्ष का बता दीजिए और कितने लगे हैं ? यदि लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई है तो उसका कारण क्या है ? यदि जानकारी नहीं है तो वह भी स्वीकार कर लीजिएगा कि ड्रिप स्प्रिंकलर के बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अब आपने सिकलसेल के बारे में प्रश्न किया है । सीओसी की स्थापना के लिये 201 लाख की स्वीकृति भारत सरकार से प्रदान की गई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, आप सुधार लीजिए । सिकलसेल, एनीमिया । सीओसी के लिये आपने 60 लाख रूपया दिया है । आप परिशिष्ट देख लीजिए । सीओसी के लिये 60 लाख दिया है और एनीमिया के लिये 2 करोड़ दिया है । दोनों अलग-अलग है ।

श्री रामविचार नेताम :- यह स्वीकृति प्रदान की है और इसके लिये एम्स को एजेंसी बनाया गया है । छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे बड़ी संस्था कोई हो नहीं सकती और इसलिये राशि उनको दिया गया है । मॉनिटरिंग के लिये विभाग में अलग से नोडल बने हुये हैं, उसके माध्यम से इसे किया जा रहा है । मैं समझता हूँ कि इस संबंध में हमारी भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन जानकारी लेकर कि क्या प्रगति हो रही है, मैं इस बारे में अवगत जरूर कराऊंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी दो मिनट समय है, ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में पूछा था, इसे बता दीजिए ? आपको उसकी जानकारी नहीं दी गई है । यदि नहीं दी गई है तो वह शामिल है कि नहीं है, मैं आपको शामिल है करके जानकारी दे देता हूँ, आपको पत्र दे देता हूँ । आप उसके बारे में बता दीजिए कि क्यों जानकारी नहीं दी गई और शामिल है कि नहीं है ?

डॉ.चरणदास महंत :- आप सीट बदल लो ना, एक दूसरे की जगह । अध्यक्ष महोदय, इन दोनों की सीट बदल दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कार्यवाही करिये । अभी मैं शून्यकाल में उसको बोलता हूँ ना ।

श्री रामकुमार यादव :- सब सीटे के त लड़ई ए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट बाकी है ।

श्री रामविचार नेताम :- सभी का प्रस्ताव, अलग-अलग विभाग का, एक पूरा वृहत कार्ययोजना बनाकर भारत सरकार को अलग-अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है और उस प्रस्ताव के

तहत अभी स्वीकृतियॉ आना शेष है । वह राशि जैसे-जैसे आ रहा है, उसके तहत उसमें खर्च किये जायेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राशि आ गई है सरकार, आपको उसकी परिशिष्ट में जानकारी ही नहीं दी गई है । जो जानकारी नहीं दी गई है, ऐसे लोगों के ऊपर कुछ करिये । मैं यही तो कल बोल रहा था ।

श्री रामविचार नेताम :- वैसे तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे ।(हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- तो आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, जब आपको जानकारी नहीं दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे

(माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल जी के खड़े होकर जाने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। मैं उमेश बघेल इसलिए बोल दिया की छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले पटेल चलता था, अब बघेल चल रहा है तो बघेल निकल जाता है। महंत तो अभी लागू ही नहीं हुआ है। (हंसी) जिस दिन महंत लागू होगा तो महंत, महंत बोल देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- लखेश्वर बघेल का प्रश्न था और आप उमेश पटेल बोल रहे थे।

श्री उमेश पटेल :- सुनिए तो, आप परिभाषा तो पूछ लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अगली बार महंत बोल देंगे।

श्री उमेश पटेल :- आप मंत्री जी से एक बार बेरोजगारी की परिभाषा तो पूछ लीजिए। जिस दिन बेरोजगारी की परिभाषा पूछकर आओगे उस दिन आपकी पूरा बात सुनूंगा। आप मंत्री जी से परिभाषा लेकर आईए।

(माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी द्वारा कागज का पत्र दिखाने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- इसको पढ़ लीजिए। ये आपके कारनामे हैं। इसमें आपके 5 साल के उत्तर हैं, इसको पढ़ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए अजय जी, प्लीज बैठिए।

समय :

12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन्) 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखता हूं।

(3) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.एन.जैनकोर/2228/2025-कॉमटैक्स सेक्शन (51), दिनांक 17 जुलाई, 2025

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.एन.जैनकोर/2228/2025-कॉमटैक्स सेक्शन (51), दिनांक 17 जुलाई, 2025 पटल पर रखता हूं।

(4) आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक पी.यू.बी.आर./391/2025-हाऊसिंग, दिनांक 07 नवम्बर, 2025

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक पी.यू.बी.आर./391/2025-हाऊसिंग, दिनांक 07 नवम्बर, 2025 पटल पर रखता हूं।

(5) आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचनाएं

(i) एफ-07-23/2023/32, दिनांक 17 अक्टूबर, 2025

(ii) रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 23 अक्टूबर, 2025 तथा

(iii) रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 26 नवम्बर, 2025

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ-07-23/2023/32, दिनांक 17 अक्टूबर, 2025

(ii) रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 23 अक्टूबर, 2025 तथा

(iii) रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 26 नवम्बर, 2025 पटल पर रखता हूं।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024)

अनुसूचित जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखता हूं।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक (वर्ष 2024-25)

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक (वर्ष 2024-25) पटल पर रखता हूं।

(8) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025)

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) पटल पर रखता हूं।

(9) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 पटल पर रखता हूं।

(10) विश्वविद्यालयों के प्रतिवेदन

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025)

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025) तथा

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025) तक पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप आगे बढ़ जाइये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार की ऐसी व्यवस्था है तो पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ नहीं, कल भी रख लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- वह क्रम बदल गया है। मंत्री जी, पढ़िये।

(11) पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) तक पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल की सूचना।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों किसानों की धान बेचने की जो परेशानी है, वह एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, उस पर हमने आपको स्थगन दिया है और आपसे निवेदन किया है कि आप हमारे स्थगन को स्वीकार कर लें। अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार धान की खरीदी कर रही है, उसको 25 साल हो रहे हैं, लेकिन सबसे दुर्व्यवस्था, कुप्रबंध तथा शासन की असंवेदनशीलता यदि दिख रही है तो इस बार ही दिख रही है और इतनी परेशानी हो गई है कि किसान आज खून के आंसू रो रहे हैं। पंजीयन में जानबूझकर जटिलता पैदा की गई। अभी तक नियम यह था कि इन लोगों ने बनाया या हमने बनाया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था, अब उसको पंजीयन की प्रक्रिया से फिर से रजिस्ट्री करने की व्यवस्था की गई है। उसमें स्थिति इतनी खराब है कि उसके कारण कहीं गिरदावरी की त्रुटियां हो रही हैं तो कहीं agristack portal खराब है। इस तरह से 5 प्रतिशत किसानों का अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है। दूसरी बात, इसमें 40 लाख से अधिक खसरा का मामला निलंबित है। तीसरी बात, वन अधिकार पट्टाधारक किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है। टोकन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अभी-अभी एक किसान ने अपने गले को ब्लेड से काटकर मरने की कोशिश की। ठीक है कि कल आपने आदेश निकाल दिया, वह बात अलग है, मगर टोकन की ऐसी दुर्व्यवस्था है कि किसी को टोकन मिलता है, किसी को नहीं मिल रहा है, जिसका टोकन पीछे लेना है, उसका टोकन आगे करके लिया जा रहा है और इस प्रकार हर जगह किसान आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा है। आपको इसको देखना चाहिए। हमारे लिए केन्द्र सरकार की ओर से साढ़े 22 रूपये निर्धारित है कि धान खरीदी में जो भी लेबर चार्ज होता है, उसको देना है। उसके बावजूद भी हर किसान से प्रति बोरा 3 रूपये लिया जा रहा है और यह बोरा भराई किसानों को 7.5 रूपये प्रति क्विंटल पड़ रहा है, जिसके

कारण किसानों को लगभग 120 करोड़ रूपये जबर्दस्ती देने पड़ रहे हैं। पता नहीं आप इस बार जानबूझकर अपने विभाग में कौन सी दुर्व्यवस्था कर रहे हैं। आप धान खरीदना नहीं चाहते या कम धान खरीदना चाहते हैं, यह हमारी समझ से बाहर हैं। आप सूखत काट रहे हैं जबकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिये 0.5 प्रतिशत की छूट है परंतु आप सूखत काटने के नाम से किसानों से 1 से 2 किलो तक ज्यादा धान वसूल रहे हैं। आपने बोरा का वजन कम कर दिया हैं। मैं पिछले साल से निवेदन कर रहा था, बता रहा था। मैंने यहां बोरा लाकर दिखाया, उसके बाद भी आपके मंत्री जी और आपको समझ में नहीं आया। आपने कह दिया कि बोरा बराबर वजन का है। बोरा जितने ग्राम का होना चाहिए उतने ग्राम का न होकर और भी कम वजन का है उसके कारण भी किसानों से ज्यादा धान लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जमाने में तत्काल भुगतान की बात होती थी और तत्काल नहीं तो हम लोग 3 दिनों में भुगतान कर देते थे। मगर अभी भुगतान कब मिलेगा ? इसकी कोई भी जानकारी नहीं है और न तो बैंक वाले बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी मांग, आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि स्थिति गंभीर है। आप जबर्दस्ती क्यों स्थिति को गंभीर बना रहे हैं ? हम सदन में दूसरी चर्चा करते हैं। आप इसे क्यों गंभीर बना रहे हैं ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- क्या बॉडी लैंग्वेज दिखाना पड़ेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हमारे पक्ष में संतुष्ट है। धान खरीदी अच्छी चल रही है।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पूरे क्षेत्र, पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बर्बाद हो गयी है।

श्री अजय चन्दाकर :- कहीं से भी स्थिति में गंभीरता नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- ज्ञान मारे ज्ञानी ला, ज्ञान बोले ठहराये हो। अउ मुरू के मारे टेम्पत हे, मुंह कान फूट जाये हो। यह ज्ञान से मानत हे ।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने जोर-जोर से चुनाव में भी कहा था कि हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। चन्द्राकर जी, मैं इधर देखकर बोल रहा हूं। 21 क्विंटल धान खरीदने के बजाए आप 12 से लेकर 15 क्विंटल तक धान खरीदने का पूरा विचार बना लिये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने ऐसे निर्देश दे दिये हैं। आपने प्रशासनिक क्षमता देख ली है कि 95 प्रतिशत लोग आपका यह काम नहीं करना चाहते हैं। उठाव मिलिंग के कारण ही सही या जो भी कारण हो मगर आपका धान उठ नहीं रहा है। किसान परेशान हैं। मेरे साथी इस संबंध में आपसे बाकी बातें करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करके यहां चर्चा करा ली जाये। किसान इस वर्ष जितना परेशान है, वह पिछले वर्षों में कभी नहीं रहा है। आपसे निवेदन है कि हमारा स्थगन स्वीकार करें, जिस पर हम विशेष चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, क्या आपने स्थगन ग्राह्य कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय :- ग्राह्यता पर चर्चा शुरू करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा विषय उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप दूसरा विषय ले सकते हैं, यह शून्यकाल है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, क्या ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है ? क्या आपने ग्राह्यता स्वीकार कर ली है ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अभी तो शून्यकाल है। अलग-अलग विषय आ रहे हैं। बाद में चर्चा करायेंगे। शून्यकाल में सभी को स्वतंत्रता है कि वह जो भी विषय उठाना चाहे, वे उठा सकते हैं। आप लोग भी अपना विषय उठा सकते हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जो छत्तीसगढ़ के पिछले 25 सालों के इतिहास में कभी नहीं आया है। यह गंभीर मामला है और यह सुशासन के सारे दावों की पोल खोल रहा है। जब राज्यपाल द्वारा मंत्रिगण को शपथ दिलाई जाती है तो उसमें सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, भय, पक्षपात, राग और द्वेष के बिना कार्य करने की शपथ दिलाई जाती है। यहां पर एक मंत्री जी के द्वारा 17.11.2025 को 19 धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी और वहां के कम्प्यूटर ऑपरेटर को सीधे नियुक्त करने का विधि विपरीत निर्देश दिया जाता है और जब वहां की अधिकारी इसे सूचित करती है कि यह विधि विपरीत है और ऐसी नियुक्तियां संविधान के नियमों के विपरीत है तो उसके 24 घण्टे के अंदर उस महिला अधिकारी का ट्रांसफर करके उसका डिमोशन कर दिया जाता है। मंत्री जी का यह कृत्य असंवैधानिक है, पक्षपातपूर्ण है और निष्ठा के विरूद्ध है और वह शपथ के भी विरूद्ध है और शपथ के भी विरूद्ध है जो उन्होंने मंत्री पद के समय ली थी। ऐसे मंत्रियों को आपको निर्देशित करना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें और इस तरह के कृत्य आगे न हों।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तुरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे किसान भाई पूरे छत्तीसगढ़ में परेशान हैं। जहां भी हम निरीक्षण में जा रहे हैं, सभी जगह शिकायत है कि किसान भाईयों से 15 रुपये बोरा पलटी के लिये लिया जा रहा है और 15 से 12 क्विंटल ही धान खरीदी हो रही है। रकबा की कटौती हो गई है। सरकार के द्वारा जान-बूझकर किसान भाईयों को परेशान किया जा रहा है और यह खरीदी न की जाये, इस उद्देश्य से ऐसा हो रहा है। हमारे लीडर साहब ने जो स्थगन लाये हैं, इस चर्चा के लिये हम आपसे निवेदन करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य चालू है। लेकिन अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र, जिला या छत्तीसगढ़ की बात करूं तो टोकन की समस्या बहुत है। ऑनलाइन टोकन 70 प्रतिशत और ऑफलाइन टोकन 30 प्रतिशत दिया जा रहा है। मेरे विधान सभा में 8.00 बजे टोकन मिलना चालू होता है और

गोल-गोल घूमते रहता है और 8.03 बजे खत्म हो जाता है। टोकन कहां कटता है, कौन काटता है, कैसे काटता है, कुछ भी पता नहीं है। एक दिन में 3-4 लोगों की ही धान खरीदी हो रही है। साथ में ऑफलाइन टोकन बड़े किसानों का कट रहा है। वहां पर बैठे हुए प्रबंधक लोग सिर्फ बड़े-बड़ें किसानों का टोकन काट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास एक एकड़ का जो है, वह टोकन काट ही नहीं पा रहा है, उनके धान को चूहा खा रहे हैं। गरीब किसानों के धान को खरीदा नहीं जा रहा है। उनका 15-20 बाद टोकन कट रहा है। टोकन की समस्या बहुत ज्यादा है। कलेक्टर महोदया से निवेदन करते हैं तो उनका कहना है कि हम बहुत अच्छे से धान खरीदी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी धान खरीदी की व्यवस्था सही नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसमें चर्चा कराई जाये। हम किसानों की धान खरीदी से संबंधित समस्या रखेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा जो स्थगन की सूचना दी गई है, उस पर चर्चा की बात आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न खरीदी केन्द्र और समितियों में जो धान खरीदी हो रही है, मानक से कहीं ज्यादा 40560, 40580 की जगह 40200 और 41500 लिया जा रहा है। जब हम वहां से अधिकारी को, कलेक्टर को संपर्क करते हैं, तब फिर कार्रवाई होती है। हर धान खरीदी केन्द्र में ऐसी स्थितियां निर्मित हैं और अभी बालोद जिला में बड़ा प्रकरण धोबनपुरी और जगतरा संग्रहण केन्द्र से आया है। 43235 क्विंटल धान कम पाया गया है और वहां के फड़ प्रभारी के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। 10 करोड़ धान के गबन का मामला भी अभी आया है। धान खरीदी अभी चालू है और ये स्थिति अभी बालोद जिला में है तो सोच लीजिए अभी क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि इस स्थगन को तुरंत स्वीकार करके चर्चा कराई जाये।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी बहुत ही वरिष्ठ सदस्या रेणुका सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया कि मोबाइल टावर नहीं है। अभी आप जो धान खरीदी कर रहे हैं, उसमें 70 प्रतिशत ऑनलाइन है और 30 प्रतिशत ऑफलाइन है। मेरे कोटा विधान सभा के बहुत सारे गावों में टावर नहीं हैं। वहां के किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। मेर आपसे निवेदन है कि उसको 70 प्रतिशत ऑफलाइन किया जाये और 30 प्रतिशत ऑनलाइन किया जाये। क्योंकि किसानों के पास एंड्राइड फोन तक नहीं है तो किस व्यवस्था के तहत वह धान बेचेंगे। दूसरी बड़ी समस्या आ रही है कि वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनके पास वन अधिकार का पट्टा है, उनकी धान अभी तक नहीं खरीदी जा रही है। उनके धान खरीदी की व्यवस्था की जाये। आदिवासियों के बीच में पूरा हाहाकार मचा हुआ है कि उनके धान नहीं खरीदे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था की जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोले कि क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या मोशन लगाये हैं, किसमें चर्चा चाहते हैं? आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि उसकी कैसी चर्चा चाहते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम बोल रहे हैं कि धान खरीदी में अव्यवस्था है, इसलिए उसमें चर्चा कराई जाये।

श्री दिलीप लहरिया :- स्थगन में ही चर्चा है।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आज स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह अभी बोला है कि स्थगन प्रस्ताव दिये हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरी सीरीज है, जिसमें किसानों को जो लगातार पहले दिन से परेशानी आ रही है। जब से पंजीयन की कार्रवाई शुरू हुई है, एक किसान को तहसील आफिस में 20-20, 25-25 बार घूमना पड़ता है। एग्री स्टेट के नाम से उनको लगातार परेशान किया गया है। अभी भी बहुत सारे किसान हर जिले में, हर जगह पेण्डिंग हैं जिनके रकबा को काट दिया गया है या रकबा दिख नहीं रहा है, अभी भी लगातार यह परेशानी बनी हुई है । इसके बाद जब धान खरीदी शुरू होती है तो सबसे पहले टोकन नहीं कटता है, लोग जब टोकन काटने जाते हैं, 8 बजे शुरू होता है और 8 बजकर 3 मिनट पर पूरा टोकन समाप्त । अभी एक आदमी से अधिक कोई अपना टोकन नहीं काट पा रहा है । जो सोसायटी है, सोसायटी स्तर पर जो टोकन देने की सुविधा थी उसे काफी दिनों तक स्थगित रखा गया इसके कारण पहले तो 60-40 का रेशियो रहता था कि 60 ऑनलाईन होगा और 40 ऑफलाईन होगा । बहुत दिनों तक ऑफलाईन की सुविधा नहीं दी गयी उसके बाद किसान जब अपने धान को बेचने जाता है तो उसको वापस कर दिया जाता है, नमी ज्यादा है, कहीं पर प्रतिशत कम है, कहीं तुम्हारा डलवा का धान है, पुराना धान है करके वापस कर दिया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह होने के बाद जब उसकी भराई की बारी आती है तो 15 रूपये क्विंटल लिया जा रहा है । अभी उन्होंने कहा कि 15 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 120 करोड़ का यह मामला बनता है तो यह सारी चीजें हम चर्चा पर लाना चाहते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्थगन के जरिये इस पर चर्चा कराई जाये ताकि हम लोग वृहद् रूप से इस पर चर्चा कर सकें ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पहली बार इन 25 वर्षों में पंजीयन की ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं । जब शुरूआत में किसान पंजीयन के लिये जाते थे तो उनके गिरदावली का जो सर्वे कराया गया था उसमें ग्रामीण युवाओं को, दसवीं-ग्यारहवीं के बच्चों को भेजा गया । उसमें बहुत से किसानों का जो रकबा है वह शून्य पाया गया फिर उसके बाद पुन: हम लोगों ने कलेक्टर जी से निवेदन किया तो फिर से सर्वे में अभी भी बहुत से किसानों का धान जो है खरीदी नहीं

हो पा रहा है क्योंकि पंजीयन नहीं हो पाया है, मैं और तो और आपको यह बताना चाहूंगी कि अभी भी किसी का कहीं पर खसरा शून्य है, तहसील ऑफिसों में पंजीयन के लिये लंबी-लंबी लाईनें लगी हुई हैं और इसके साथ ही टोकन के लिये जो किसान जा रहे हैं, 8 बजे ऑनलाईन का नहीं हो पाता तो ऑफलाईन के लिये जा रहे हैं, ऑफलाईन का जो सिस्टम है उसमें भी 30 प्रतिशत कहीं पर भी नहीं है । हम लोगों ने निरीक्षण किया है, सोसायटियों में जाकर देखने के बाद लंबी-लंबी लाईनों की लिस्ट बना दी गयी । उसमें बहुत से किसान जो ऑनलाईन के ही हैं लेकिन उनको टोकन ही नहीं मिला है । बहुत सारी शिकायतें हैं और हमने उनका जो रजिस्टर देखा है तो उसमें पूरा ही मतलब अवैध तौर पर जो कोचिया है उनके धान को ले लिया जा रहा है और कौचिया कौन जो वहां के सोसायटी अध्यक्ष थे वह वहां पर बी.जे.पी. के द्वारा बनाया गया अध्यक्ष रहा, उनका धान लिया गया और जो आम जनता है वह परेशान है । हमको ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई । मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगी कि आज की स्थिति में आज भी कई किसान, ऐसी कई सोसायटियां हैं, कहीं छोटी सोसायटी और कहीं बड़ी सोसायटी जहां पर खरीदी का आंकलन 1 लाख से ऊपर है उसमें अभी भी केवल 15 सौ क्विंटल ही खरीदी हुई है तो लगभग पूरे 31 जनवरी तक हम धान खरीदी कैसे कर पायेंगे ? हमें इस स्थगन पर विशेष चर्चा करनी चाहिए क्योंकि व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है ।

समय :

12.23 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिये समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य में व्याप्त अनियमितता एवं कुप्रबंधनों के संबंध में

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिये समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य में व्याप्त अनियमितता एवं कुप्रबंधनों के संबंध में 34 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

चूंकि डॉ. चरणदास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं -

भारत सरकार की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर 149 लाख 24 हजार 710 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है । धान उपार्जन का कार्य राज्य सरकार केंद्र शासन के एजेंट बतौर करती है । सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार उपार्जित धान में से 40 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष हो रहा है, जिसको टेंडर बुलाकर खुले बाजार में बेचने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । इस धान का निराकरण करना आज की स्थिति में सरकार की सबसे बड़ी समस्या हो गई है । 13 लाख 34 हजार

मीट्रिक टन चावल स्टेट पूल में खपेगा जो 19 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान की मिलिंग से पूरा हो जायेगा, 70 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम लेगा, जो लगभग 89 लाख मीट्रिक टन धान से पूरा हो जायेगा । पंजाब में इसी समय समर्थन मूल्य पर 172 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है और इसका पूरा चावल केंद्रीय पूल में लिया जा रहा है । छत्तीसगढ़ में पूरा अतिशेष चावल केंद्रीय पूल में नहीं लिया जा रहा है । पिछले सीजन का पूरा चावल भी आज तक नहीं लिया गया है । छत्तीसगढ़ में तो एफ.सी.आई. के पास चावल भंडारण के लिये पर्याप्त स्थान तक नहीं है । सरकार चावल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए रेल्वे रेक भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है । 40 लाख टन धान बेचने के लिये सरकार मजबूर हो गई है । धान बेचने से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने में वित्त मंत्री जी की तथाकथित GATI असमर्थ रही है । भारत सरकार की इस योजनांतर्गत 40 लाख टन धान बेचने से कम से कम 8000 करोड़ रूपये का घाटा राज्य के कोष को होगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया है । हमारे धान की लागत 3100/-प्लस 500/-संग्रहण व्यय ब्याज आदि को मिलाकर 3600/- होती है, यह धान अधिकतम औसत मूल्य 1600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बिकेगा । इस प्रकार प्रति क्विंटल 2000 रूपये का नुकसान होगा और 40 लाख मीट्रिक टन अर्थात् 4 करोड़ क्विंटल पर कम से कम 8000 करोड़ रूपए की बड़ी आर्थिक क्षति होगी । जो कुल बजट का पांच प्रतिशत है । धान का उत्पादन प्रदेश के श्रमवीर किसानों की अथक परिश्रम की कमाई है और सरकार द्वारा किसानों के श्रम की उपेक्षा का शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की सरकार की इस योजना के विरूद्ध पूरे प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है।

अत: इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।

धान खरीदी जनहित का और किसानों के हित से जुड़ा हुआ विषय है इसलिये इस विषय के महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए मैं तत्काल ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ करने की स्वीकृति देता हूं । कृपया चर्चा प्रारंभ करें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आदरणीय भूपेश बघेल जी इसमें चर्चा प्रारंभ करेंगे । कृपया उन्हें समय दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- आप नहीं बोलना चाहें तो वहां से शुरू करेंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- हां ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल चुके हैं तो आप न बोलें, कोई दिक्कत नहीं । चलिये शुरू करिये ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ग्राह्यता पर चर्चा स्वीकार करके छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति न्याय किया है इसके लिये मैं आपको, आसंदी को इसके लिये साधुवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ग्राह्य कर लेते तो सत्तापक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिलता क्योंकि सभी खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं और शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें, 15-16 विधानसभा तो बचत सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के विषय में बोल पाते । आपकी व्यवस्था सर आंखों पर। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि अब हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जो हमारे सत्तापक्ष के लोग हैं, वह केवल सुनने का काम करेंगे। अब अजय जी आप कुछ भी नहीं बोल पायेंगे। आप टोका-टाकी भी नहीं करेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं कर पायेंगे, आप बोल नहीं पायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि अब आपके सामने पूर्व लग गया है तो आपके भाषण को भी सुनना मजबूरी हो गई है। मुझे ज्यादा टोका-टाकी करते नहीं बनेगा। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के भाषण में क्या टोका-टाकी करूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं। वैसे केवल मैं ही पूर्व नहीं हूँ। आप भी पूर्व ही हैं। (हंसी) यहां पूर्व लोगों की लाईन लगी हुई है। अमर अग्रवाल जी, रेणुका जी यह सब पूर्व है और इधर अभूतपूर्व हैं। वह कहां गये ? माननीय धरमलाल कौशिक जी, पुन्नूलाल मोहले जी, यह हमारी लाईन में आ गये हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- क्या है। आदरणीय अजय जी की पुराने में रूचि नहीं है, नये में रूचि रहती है। आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं।

श्री अनुज शर्मा :- आप सभी अभूतपूर्व लोग हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, आप अपना भाषण शुरू करने के पहले यह बताईये। आप राहुल गांधी वाला फुटबाल देखे या नहीं देखें ? आपने मैसी और उनका मैच देखा या नहीं ? इतना बड़ा स्टार आया, एक गठबंधन में हुल्लड़ हो गया। तेलंगाना में राहुल जी खुद फुटबॉल खेलें तो आप मौके में थे या नहीं थे ?

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, मैं यहीं था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपे इतने बड़े ऐतिहासिक अवसर से कैसे दूर हो गये।

समय
12.26 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है और खेती किसानी से हम सब जुड़े हुए हैं और यहां की अर्थव्यवस्था भी कृषि से जुड़ी हुई है। इसका धान खरीदी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि धान खरीदी की व्यवस्था गड़बड़ा जाये तो पूरे किसानों की अर्थव्यवस्था साल भर के लिए चौपट हो जाएगी और इसका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकारों ने इसकी व्यवस्था की और लगातार सुधार की कोशिश की। जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश बना है तब से इसकी व्यवस्था की गई और निरंतर सुधार हुआ। सरकार में चाहे कोई भी रहे, लेकिन

वर्तमान जो सरकार है वह धान खरीदना ही नहीं चाहती। आला लाईन तो यह है कि यह सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। इसका सीधा-सीधा उदाहरण यह है कि सरकार ने यह घोषित किया कि 15 नवम्बर को धान खरीदी करेंगे और उसके पहले जितने भी समिति के प्रबंधक, कर्मचारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं, वह सारे लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उनका जबरिया हड़ताल तोड़वाया जाता है और उनको जेल में भी ठूंसा जाता है। उनके खिलाफ एफ.आई.आर. की जाती है, एस्मा लगाया जाता है और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार यह कहती है कि हम 15 नवम्बर से धान खरीदी करेंगे, लेकिन यह सरकार 15 नवम्बर को धान खरीदी की शुरूआत नहीं कर पाती। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप सालभर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप तय तिथि के दिन धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। आपको तिथि बढ़ानी पड़ती है। आप 16, 17 और 18 तारीख से धान खरीदी शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो आपको carry forward करना था, जितने किसान पिछले वर्षो में धान बेच रहे थे। उनको carry forward नहीं किया। आपने एग्रोटेक और एकीकृत, दो पोर्टल एक राज्य सरकार की ओर से एकीकृत पोर्टल और केन्द्र सरकार की ओर से एग्रोटेक। यह दो पोर्टल खोल गये और दोनों पोर्टल में जिसका नाम नहीं होगा। यदि एक पोर्टल में नाम हो गया और दूसरे पोर्टल में नाम नहीं है तो आप धान नहीं बेच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्रोटेक में सबसे बड़ी खामी यह है कि यदि किसी किसान का दो जगह जमीन है या तीन गांवों में जमीन है या फिर खसरा अलग-अलग है। उसकी तीन-चार खसरे में जमीन है भले वह छोटे किसान हों। वह 5 एकड़ का किसान हो, 2 एकड़ का किसान हो, लेकिन अलग-अलग खसरा है यदि अलग-अलग गांवों में जमीन है तो एग्रोटेक पोर्टल में उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। इसके कारण से किसानों को लगातार चक्कर लगाना पड़ रहा है। वह कभी तहसीलदार, आर.आई., एस.डी.एम. के चक्कर लगा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यजनक बात है और इसके कारण से जमीन, रकबा कम हो गया। दूसरी बात यह है कि जिसमें फौत उठाना है उसमें वह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात यह है कि कि जो वन अधिकार पट्टा जिनको मिला हुआ है और पिछली हमारी सरकार ने जहां आदिवासियों को वनांचल में अनुसूची 5 जिन-जिन क्षेत्रों में लगा हुआ है वहां हमने उसको ऋण भी दिया और उसकी खरीदी की व्यवस्था भी की, लेकिन अब एग्रो स्टेट में जिन बिन्दुओं में नियमावली है, उसमें यह नियम है कि यदि आप वन ग्राम में है तो आपकी जमीन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, आप धान नहीं बेच सकते। यदि वनाधिकार पट्टा मिला है तो आप धान नहीं बेच सकते। यदि ट्रस्ट की जमीन है तो आप धान नहीं बेच सकते। कोटवार की जमीन है तो आप धान नहीं बेच सकते। आप अधिया-रेगहा ले रहे हैं तो आप धान नहीं बेच सकते। इन सारे नियमों के चलते आज अधियारी हैं, रेग वाले हैं, वे धान नहीं बेच पा रहे हैं इसके कारण से रकबा लगातार घटती जा रही है । सरकार का लक्ष्य तो 160 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है । पहले दिन से खरीदी और उसके बाद ऑन लाईन और आफ लाईन की

शुरूआत होती है । कई जिलों में सुनने को आया है कि इसमें आफ लाईन शुरू ही नहीं किया गया, केवल ऑनलाईन है । कलेक्टर की जैसी मर्जी आई, जिस जिले में कलेक्टर को जो सुझा, उस प्रकार से आदेश जारी किया गया । कहीं 70 फीसदी का रेशियों है, कई जिलों में केवल ऑन लाईन ही खरीदी करेंगे । जिस प्रकार से रेणुका जी और अटल जी ने बताया कि उनके यहां टावर ही नहीं है । प्रश्नकाल में जवाब आया है, आज मुख्यमंत्री टावर योजना का प्रश्न था । मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री टावर है ही नहीं क्योंकि कनेक्शन तो दिल्ली से, अहमदाबाद से है तो यहां टावर की जरूरत ही नहीं है तो पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री टावर नहीं लग रहा है । अब जब टावर नहीं लगा है तो सवाल इस बात का है कि नेट कैसे लगेगा, नेट नहीं है और जिसके पास एंड्राईड मोबाईल नहीं है, वह किसान अपना धान का टोकन लेने के लिए ऑनलाईन कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा ? जब टोकन ही नहीं मिलेगा तो धान नहीं बिक पाएगा और दूसरी बात जब ऑनलाईन पोर्टल सुबह 8 बजे पोर्टल शुरू होता है और 8 बजकर 1 मिनट, डेढ़ मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट बाद वह ऑनलाईन पोर्टल बंद हो जाता है। फिर कम्प्यूटर में, मोबाईल में गोल-गोल, गोल-गोल घूम रहा है, साय-साय घूमना शुरू कर देता है । (हंसी) बिल्कुल साय-साय घूम रहा है, लेकिन उसको टोकन नहीं मिलता । दूसरी बात, ऑफ लाईन की है तो ऑफ लाईन में जिसकी पहुंच है, जिसकी पकड़ है, जो को-आपरेटिव्ह बैंक में पदस्थ हैं, अधिकारी-कर्मचारी से जिसके संबंध हैं, वह टोकन काट रहे हैं, बचत किसान भटक रहे हैं । जिसके पास मोबाईल नहीं है, वह च्वाईस सेन्टर जाता है । ऑफ लाईन के लिए सोसायटी जा रहा है, ऑन लाईन के लिए च्वाईस सेन्टर जा रहा है और इस आने-जाने में किसान परेशान हो गया है और महासमुंद में जो मनबोध नाम का किसान है, वह अनुसूचित जाति का है, उस किसान का टोकन नहीं कटा तो उन्होंने अपना गला काट लिया । (शेम-शेम की आवाज) यह इस सरकार की उपलब्धि है । इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकती है ? सरकारें रही हैं, लेकिन कोई किसान टोकन के लिए, धान बेचने के लिए अपना गला नहीं काटा, लेकिन इस सरकार के ऊपर एक धब्बा लगा है, इस सरकार की उपलब्धि कहें या नाकामी, इस सरकार में किसान धान नहीं बेच पा रहा है। मनबोध नाम के किसान के पास केवल एक एकड़, 40 डिसमिल जमीन है । वह धान नहीं बेच पा रहा है, जीवन-मरण, मृत्यु शैया में पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से आंसू पोछने का काम तक नहीं किया गया है और मनबोध जैसे यहां हजारों नहीं, लाखों किसानों की स्थिति है । ये स्थिति सरकार की है कि सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती ।

सभापति महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि अब ऑन लाईन, ऑफलाईन हो गया, टोकन नहीं मिल रहा है, किसान भटक रहे हैं । अब यदि सोसायटी में चले जाते हैं तो वहां क्या स्थिति है ? वहां मनमाने धान तौल रहे हैं, बारदाना छोटा है, वजन नहीं है और फिर भी उसके नाम से पूरा एक किलो अतिरिक्त धान ले लेते हैं । अब दिक्कत क्या है ? आप धान उठा नहीं रहे हैं । पहले यह नियम था कि धान खरीदी केन्द्र से 3 दिन में धान उठाना है, लेकिन सरकार ने नियम बदल दिया कि धान उठाने की

इतनी जल्दी जरूरत नहीं है, फरवरी के बाद आर.ओ. कटेगा। जो धान पहले धान खरीदी केन्द्र से 3 दिन में उठ जाता था, अब वह धान खरीदी केन्द्र से संग्रहण केन्द्र जाएगा और संग्रहण केन्द्र से फरवरी के बाद आर.ओ. कटेगा, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि यह सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है। इसका उदाहरण पिछले साल का जो धान है, वह लाखों क्विंटल धान आज तक धान खरीदी केन्द्रों में पड़ा हुआ है। वह चाहे बस्तर में हो, सरगुजा में हो, चाहे मुख्यमंत्री का क्षेत्र कुनकुरी में हो, वहां धान पड़ा हुआ है। वहां कोई धान उठाने वाला नहीं है। इस साल अतिवृष्टि हुई इस कारण पूरा धान सड़ गया है।

माननीय सभापति महोदय, आप पिछले साल राईस मिलर्स को धान मिलिंग करने के लिए दिए थे, लेकिन आप उस धान के चावल को एफ.सी.आई. में जमा नहीं करा पा रहे हैं। आप रैक उपलबध नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए राईस मिलर्स के पास लाखों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। वे चावल जमा नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, जब राईस मिलर्स चावल जमा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या स्थिति बन रही है ? स्थिति यह बन रही है कि आप चाहकर भी जिनके पास धान है, जिसका लिमिट खत्म हो गया है, आप उसके लिए नया आर.ओ. नहीं काट सकते हैं। स्थिति यह है कि जितने राईस मिलर्स हैं, उनमें से आधे से अधिक राईस मिलर्स धान उठाने की स्थिति में नहीं हैं। जब धान ही नहीं रहा है तो स्थिति यह हो गई है कि आज एक महीना हो गया है। आपका लक्ष्य 1.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है, लेकिन आपने पिछले एक महीने तक केवल 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। अब आपके पास डेढ़ महीने का समय दिसम्बर और जनवरी का महीना बचा है। आप डेढ़ महीने में कैसे 1.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य हासिल कर पायेंगे। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अब धान खरीदी केन्द्रों में धान पड़ा हुआ है और किसान लगातार धान बेच रहे हैं। चाहे कितनी भी धीमी गति हो, लेकिन किसान धान बेचने पहुंच तो रहा है। जब धान खरीदी केन्द्र में धान जमा हो जायेगा, आपका पूरा ग्राउण्ड भर जायेगा तो आपको धान खरीदी बंद करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर सरकार यह नहीं चाहती है कि यह धान खरीदी हो। सरकार पूरी नाकामी, पूरी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। आप पिछले साल के धान को निराकृत नहीं कर पाये हैं। सरकार इसका जवाब दें। सरकार क्यों जवाब देने से भाग रही है ? यदि स्थगन ग्राह्य करके चर्चा कराते तो सत्ता पक्ष से जवाब आता और पूछते कि पिछले साल का कितना धान बचा हुआ है ? अभी तक क्यों निराकृत नहीं हुआ है ? जब पिछले साल का धान निराकृत नहीं हुआ तो सरकार को कितना घाटा हुआ, आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, आप इसकी जानकारी दें। आपको धान खरीदी किए हुए साल भर से ऊपर हो गया है। लेकिन आपने एफ.सी.आई. में चावल जमा नहीं कराया है, इसलिए सरकार ब्याज भर रही है। आखिरी इसी पवित्र सदन से राशि स्वीकृत किया गया, शायद हमको उन सबका ब्याज पटाना पड़ रहा है और राज्य सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अब सवाल इस बात का है कि एफ.सी.आई. कहती है कि 15 नवम्बर के बाद पिछले साल के धान का चावल नहीं लेंगे, यह उनका नियम है। अब इस नियम के तहत राइस

मिलर्स को जो धान दिया है, उस चावल का कैसे करायेंगे ? सरकार इसका जवाब दे। यदि आप चावल जमा नहीं करायेंगे तो उस चावल का क्या होगा ? सरकार का पैसा धान खरीदी के माध्यम से फंसा हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है ? कुल मिलाकर यह सरकार धान खरीदी को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त करके व्यवस्था को चौपट करना चाहती है। सीधा-सीधा आरोप है कि यह सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती है, पूरे सिस्टम को बर्बाद करके किसानों को बर्बाद करना चाहती है। जब आप धान नहीं खरीद पायेंगे तो फिर निजी उद्योगपतियों, निजी व्यवसायियों को धान खरीदने के आमंत्रित करेंगे। क्योंकि आपके पास धान खरीदी केन्द्र है और आप उनको पूरा सौंप देंगे। यह षड़यंत्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम इस स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा करते हुए मांग करते हैं आप इसको ग्राह्य करके चर्चा करायेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें आयेंगी, हम लोग और तथ्य रखेंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री केदार कश्यप वन मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें। आप में से और कौन बोलेंगे ? आप (श्री उमेश पटेल) बोलिये।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

सभापति महोदय :- देखिये, आदरणीय बघेल जी, बहुत विस्तार से बोल दिए हैं। आप लोग थोड़ा लंबा मत करियेगा। उस समय में 4-5 सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायेगा, यह आग्रह है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप जितना आदेश करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं शॉर्ट में बोला हूं। जहां-जहां गड़बड़ी है, बिन्दुवार जानकारी दी है।

सभापति महोदय :- आदरणीय, फिर भी आपने कई पक्षों को छुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- आप माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दें।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, बोलने का अवसर है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा और दूसरों को भी ज्यादा मौका मिल जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, स्थगन का प्रस्ताव हमने दिया था, आपने ग्राह्यता पर चर्चा पर सहमति दी है। माननीय सभापति महोदय, धान खरीदी की जो व्यवस्था इस साल दिख रही है, यह पिछले कई वर्षों के जो अनुभव हैं, उससे पूरी व्यवस्था खराब इसी साल की सबसे ज्यादा लग रही है। ऐसा क्यों, मतलब लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले पंजीयन का विषय है

और मैं इस पवित्र सदन में बैठा हूं और सभी जनप्रतिनिधि हैं, यह बात वह कहीं न कहीं खुद भी समझते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में भी यह परिस्थिति बन रही होगी, मेरा ऐसा मानना है। जब किसानों का पंजीयन किया जा रहा है, इतने सालों से लगातार पंजीयन किया जा रहा है। सभापति महोदय, सबसे पहले गिरदावरी की व्यवस्था की जाती है। पटवारी जो हमारे सरकारी लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास न करके एक प्राइवेट संस्था को गिरदावरी का काम दिया जाता है और उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट यह आता है कि ऐसे कई लोग हैं, जिनका वहां रकबा भी है, धान भी है, सब कुछ है, लेकिन वह ब्लैंक दिख रहा है । पंजीयन में ब्लैंक हो गया, लोग गिरदवारी का चक्कर काटे। फिर एक नई बात आ गई कि एग्री स्टेट में सभी किसानों को अपना पंजीयन कराना है, तब जाकर वह पंजीयन में दिखेगा। लोग एग्री स्टेट के लिए भागे, लोग एग्री स्टेट के लिए भागे, वहां उसके बाद पता चला कि आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं, जिनका नंबर आज शून्य दिख रहा है। रोज हमारे पास, हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरे साथी सभी जनप्रतिनिधि हैं, इनके पास लोग रोज आ रहे होंगे कि मेरा यह नंबर छूट गया है, मेरा यह नंबर नहीं दिख रहा है, मेरा इसमें धान का रकबा है, लेकिन गिरदावरी में नहीं आया। यह परिस्थिति लगातार बन रही है। अच्छा, यह पूरी प्रक्रिया पूरे दो-ढाई महीने चला। किसान सबसे पहले किसके पास जाता है? पटवारी के पास। पटवारी के पास जाता है, पटवारी कहता था कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप तहसीलदार के पास जाइए। तहसीलदार के पास जाता है, वह कहते हैं कि हमको कुछ आइडिया नहीं है, आप एस.डी.एम. साहब से मिलिए। लोग एस.डी.एम. के पास जाते हैं, एस.डी.एम. कहता था कि अभी तुम्हारा डिटेल पटवारी से मिला नहीं है, फिर पटवारी के पास जाओ। लोग गोल चक्कर लगाते रहे, दो-ढाई महीने तक इसी तरह के गोल चक्कर लगाते रहे और आज भी पंजीयन पूरी तरीके से सही नहीं है। यह पंजीयन जानबूझकर, मेरा यह आरोप है इस सरकार के ऊपर कि जानबूझकर कटौती करने का काम इस सरकार ने किया है। क्यों जानबूझकर किया ? सभापति महोदय, पिछली बार जो इनको नीलामी करनी पड़ी और सरकार को जो घाटा हुआ है, उससे बचने के लिए यह किसानों का नुकसान करना चाह रहे हैं। किसानों को लगातार परेशान करके उनको उकसाकर, उनको रकबा समर्पण करवाकर, वे धान कम बेच पाए, ऐसी व्यवस्था ये लोग बना रहे हैं। सभापति महोदय, उसके बाद धान खरीदी शुरू हो जाती है। मेरी एस.डी.एम. से बात हुई, एस.डी.एम. ने मुझे कहा कि साहब, कोई लिखित आदेश नहीं है कि 10 एकड़ के ऊपर के किसानों को सत्यापन करना है, उसके बाद ही वे लोग धान बेच सकते हैं। उन्होंने कई तरह के नियम बताये, जिससे यह परेशानी हो रही है। लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि लिखित में कोई आदेश है, सब मौखिक आदेश है। सरकार का एक भी आदेश लिखित में नहीं है। सब मौखिक आदेश एस.डी.एम. को दिया गया है। सभापति महोदय, यह तो धान खरीदी की प्रक्रिया में शुरू हुई। जब धान खरीदी शुरू हुई तो आज किसान जब वे अपना धान लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले फोटो खिंचाओ। नोडल अधिकारी उसको वेरीफाई करेगा। 8:00 बजे से किसान वहां पहुंच रहा है और लगातार

लोगों की लंबी लाइन लग रही है। ट्रैक्टर के साथ धान का फोटो खींचना है। जब तक उसको नोडल अधिकारी वेरिफाई नहीं करता है, तब तक धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। लेकिन वह 11 बजे आता है। इसलिए किसान 8 बजे से 11 बजे तक लंबी लाइनों में खड़ा रहता है। किसान इस परेशान को झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके बाद वहां जाते ही बोलते हैं कि इन्होंने Moisture नापने का एक मशीन लगाया है। उसमें वह बोलते हैं कि यह 18 प्रतिशत है, ले जाओ। नमी ज्यादा है, सुखा करके लाओ। नमी कम है तो वे कहते हैं कि पुराना धान ले आये। किसानों के साथ यह काम लगातार कर रहे हैं। उसके बाद यह समस्या से उभर नहीं पाये हैं। कई लोग वापस गये हैं। उसके बाद जब आ रहे हैं तो कहीं पांच रूपये, कहीं दस रूपये, कहीं पन्द्रह रूपये क्विंटल धान तौलाई का लिया जा रहा है। 15 रूपये क्विंटल धान तौलाई के हिसाब से सरकार किसानों से 120 करोड़ रूपये की वसूल कर रही है। आपकी सरकार किसानों से 120 करोड़ रूपये वसूल कर रही है। यह तरह-तरह की परेशानियां हैं। हर जिले में वहां का जो प्रबंधक चाह रहा है, वहां का जो एस.डी.एम. चाह रहा है, वहां का जो कलेक्टर चाह रहा है, वह नियम है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हर जिले में अलग-अलग नियम है। दुर्ग जिले में अलग नियम चल रहा है, रायगढ़ जिले में अलग नियम चल रहा है, बिलासपुर जिले में अलग नियम चल रहा है, बस्तर जिले में कुछ और ही नियम चल रहा है। कहीं ऑनलाईन पंजीयन चल रहा है, कहीं ऑनलाईन टोकन कट रहा है, कहीं ऑफलाईन टोकन कट रहा है, कहीं टोकन ही नहीं कट रहा है। चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नियम नहीं बनाया गया है। कलेक्टर के आदेश के हिसाब से चल रहा है। कलेक्टर के आदेश के हिसाब से चलेगा तो हर जिले में किसान दिग्भ्रमित होगा और तरह-तरह की पेरशानियां आएंगी। इसी कारण से हमारा किसान अपने आप को खतम करने का प्रयास किया है। (शेम-शम की आवाज) यह हमारे लिए आई ओपनर होना चाहिए। एक किसान अगर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका टोकन नहीं कट रहा है तो यह आपके ऊपर बहुत बड़ा दाग है, सरकार के ऊपर दाग है। यह आपके लिए दाग है कि एक किसान का सिर्फ टोकन नहीं कटने के कारण उनको आत्महत्या जैसे कृत्य करना पड़ रहा है। यह पेरशानी लगातार किसानों को होती जा रही है। किसान अधिक पैसा दे रहे हैं। किसानों को प्रबंधकों से सुनना पड़ रहा है, एस.डी.एम. से सुनना पड़ रहा है। वे लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हमने अपने इतने सालों के अनुभव में कभी भी इतनी अव्यवस्था नहीं देखी है। जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। आज भी किसान उनको याद करता है। वह दबे जुबान में यही कहता है कि कका हर बने रिहीस ग। आप सोसायटी में जायेंगे तो किसान यही कहता है कि कका के काम हर बने रिहीस हे अऊ ये भा.ज.पा. वाला मन ठगथे। अभी ठगथे, अगले बार ठगही अऊ फेर ठगही। कोन जानी 21 क्विंटल लिही या नई लेवय। सभापति महोदय, ये उनका शब्द है।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है, जिसको मैं इस सदन में रखना चाह रहा हूं। हर सोसायटी में कोई सीमा नहीं है। एक बोरे का वजन कितना होगा? 520, 530 से लेकर लगभग 600 वैरी करता है। अगर आप एक कट्टे में 40 किलो धान ले रहे हैं तो 40.5 के आसपास के लेना चाहिए, लेकिन आप 41.200 किलो ले रहे हैं। किस नाम से ले रहे हैं? इसलिए कि सुखती आ जाएगा। फिर आप Moisture क्यों चेक कर रहे हैं? अगर आप Moisture चेक कर रहे हैं और जिसमें Moisture ज्यादा है, उसको वापस कर दे हैं तो फिर 41.500 किलो खरीदने की क्या जरूरत है? सरकार के संरक्षण में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। (शेम-शेम की आवाज) जिस किसान ने आत्महत्या की है और आप 120 करोड़ किसानों से वसूली कर रहे हैं और किसानों से अधिक धान आप एक बोरे में भर रहे हैं, यह तीनों चीजों से किसान परेशान हो गया है और किसान यह मान चुका है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखायेंगे। सभापति महोदय, मैं आपका इशारा समझ गया हूं। इस विषय में मैं यही कहूंगा कि आप इसकी ग्राह्यता पर चर्चा करायेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। दोनों पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। मैं आपसे यही आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी । रामकुमार, थोड़ा शार्ट में बोलबे यार ।

श्री रामकुमार यादव :- जी, जी । सभापति जी, आप जो बोल दो ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमर पूर्व मुख्यमंत्री जी अऊ उमेश पटेल जी हा किसान मन के जौन दर्द ला बतइन हे, किसान के ए दर्द ला देख के मोला सुरता आथे कि हमर देश के पूर्व प्रधानमंत्री नारा दे रहिस कि जय जवान, जय किसान । जेन भी परदेश अऊ देश म किसान खुश हो जाये, जवान ला उँहा सम्मान मिल जाये, वो परदेश अऊ देश ला आगे बढ़े ला कोनो नइ रोक सकय, अइसे हमर पूर्व प्रधानमंत्री कहे रहिसे । हमन जो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में देखथन, किसान मन के धान खरीदी पहली भी देखन तो वाह रे मोर चौथा इंजन के सरकार, एमन कहै रहिने कि हम किसान के ऑंसू पोछबो, वोखर मसीहा बनबो, वाह रे बिना इंजन के सरकार खातु तक नइ देसकथव, बीज नइ देसकथव, ले-दे के बनिया मेर जाके अपन खेती-बाड़ी ला करदिन, धान हा होगे त किसान ला अइसे लगथे कि वोहा धान नइ चरस अऊ गांजा बेचे ला निकले हे । चेकिंग के नाम से किसान ला अतेक परेशान करे जाथे, जतका गांजा अऊ दारू ला बुलकाके धंधा म लगे हे । सरकारी तंत्र किसान के पाछू परे हे, जइसे कि वोहा अफीम चरस बेचथे । एमन छत्तीसगढ़ के किसान ला खून के ऑंसू रोवावथे, हवई जहाज में किंजरइया ला पता नइ चलय, जेन गांव म रइथे, तेन जानथे । किसान सिसक-सिसक के कहाथे कि आन दे समय, वो बोलय नइ करथे । जेन धरती के सीना चीर के अन्न उपजाथे अऊ परिवार के साथ देश के पेट भरथे, संसार के पालन-पोषण करथे, आज वोला तुमन दुखी करदेव ? साल भर किसान आस लगाय बैइठे रहिथे कि धान ला सोसाइटी में बेचके मैं अपन बेटी-बेटा के

बिहाव ला करिहंव, किसान ताकत रहिथे कि धान बेचके अपन बूढ़ा मॉ-बाप के ईलाज कराहंव, इही उम्मीद ला धरके वोहा खेती करथे । किसान जब धान बेचे ला जाथे त पटवारी, तहसीलदार अऊ एस.डी.एम. वोखर घर जाके कइथे कि ए धान डलवा के धान ए, अभी के धान ला डलवा के धान बता देथे त वोखर जी का कहाथ होही ? सभापति महोदय, मोर क्षेत्र म साल्हे गांव हे, एक झन पटेल समाज के किसान हा सोसायटी में जाके धान ला लेजे रहिसे, तहसीलदार वोखर घर में जाके बइठ गे अऊ कथे कि ए डलवा का धान है, धान के पंचनामा करदिस, बाद में पता चलथे कि वो डलवा के धान नोहे, त वोला बेचे के आदेश करथे । छत्तीसगढ़ में एक परंपरा हे, कोई भी पुलिस या अधिकारी गांव के कोनो घर में चल देथे त वोहा किसान के अपमान नइ माने जाय, वोहा गांव के अपमान माने जाथे, ए छत्तीसगढ़ के संस्कृति ए । जब किसान के घर में पटवारी अऊ पुलिस डेरा डाल दय त वोहा कतका अपमानित होही, तेला आप मन समझ सकथव । एक सब के दोष ए सरकार ला पड़ही । तुमन काय सोचे हव, तुमन काय समझथव, ए छत्तीसगढ़ बेड़ा ए ? जेन साल भर सपना देखे रहिथे, वोहा कतका ठगा महसूस करथे ? एखर खातिर मैं आपला कहना चाहथंव अब सुधर जाओ, अपन अधिकारी ला कहव कि कोई बात में न आवे, पंजीयन हे, बात खत्म होगे त स्वाभाविक रूप से बेटा हो वोला कही लेकिन नहीं, ओकर बर पटवारी कर जाव, पटवारी लो भेंट डारही त अइसे लागही भगवान ला भेंट डारव। जब ले तुंहर सरकार आए हे तब ले। ए सच्ची बात ए, मोर क्षेत्र में तो तहसीलदार मन अइसने हो गेहे ओमन रेस्ट हाउस में रूकथे, जब ले आप मन के सरकार आए हे, ओमन बढ़ गेहे मनबढ़ा होगे हे। मोर आप मन से निवेदन हे कि आप मन ऐ त्रुटि ला सुधारव, छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाथे, अगर ए धान के कटोरा में किसान के सम्मान नहीं होत हे, अगर छत्तीसगढ़ में किसान के सम्मान नइ होही त कहां होही। आप भी अपन क्षेत्र में ए बात ला महसूस करथव लेकिन आप ए बात ला अपन सरकार ला बोलव, हमरो मुख्यमंत्री हा बइठे हे, कम से कम ओ हा तो छत्तीसगढ़िया हरे, कम से कम आप छत्तीसगढ़ के दर्द ला समझ लेव। आपके गमछा हा घलो छत्तीसगढ़िया मन अस रथे। आप एक किसान के बेटा हो, हम तो ओ किसान ला देखेन, जब सूर में धान ला बोहो के आत रथे, एक बाली गिरे रथे त किसान हा पसीना में थकपाकत रथे, ओखर बावजूद भी अपन गोड़ में करके एक बाली के धान ला बिनथे। जब वही किसान के धान ला एक किलो, दो किलो अकतिहा ले थे, कतका कन दर्द होत होही, ये बात ल सरकार हा सुनत हे, हमन मैदानी क्षेत्र के अन, हमर क्षेत्र में न मऊहा होए, न कोदो होए, हमर क्षेत्र में सिर्फ धान होथे, तुंहर क्षेत्र में कई ठन हे, तुमन तेंदूपत्ता तोड़ लिहो, हमन काला तोड़बो बतावव तो, जतना किसान आज हमर क्षेत्र में दुख दर्द भोगत हे, अइसे लागत हे कि तुमन ला इहां वोट दे के मुख्यमंत्री बना के बहुत बड़े पाप कर डाले हे। एखर ले बढ़िया तो हमर एके ठन इंजन रिहिस हाबे, तुमन के तीन ठन इंजन हे का होगे। सिर्फ ओ कोयला ढोए के इंजन बने हे। आज इंजन पे इंजन जुड़त जात हे लेकिन किसान हा आज रोवत हे, आत्महत्या करे बर मजबूर हो जात हे, ऐखर बर आपसे

निवेदन हे आप ए सरकार ल चेतावव, किसान के बढ़िया धान खरीदी हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में किसान उग्र आंदोलित हो करके आपके विधायक सत्ता पक्ष के घर में घलो जाही...।

सभापति महोदय :- समाप्त करिए।

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल एक अंतिम बात कहते हुए समाप्त करत हंव। मोर आपसे निवेदन हे, अधिकारी मन सुनत हे, अगर साल्हेगांव में किसान कर जांच करके ओला पंचनामा करिस गलवा फसल करके, बाद में ओखर सच्चाई निकलिस की गलवा फसल नो ऐ तो अधिकारी उपर दंड होना चाहिए मोर आपसे निवेदन हे। ओ किसान ला कतका अकन दर्द होईस होही। ओखर लिए यहां जांच करावव।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिए न, उधर मौका देना है। श्री विक्रम मंडावी जी।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश को किसानों का प्रदेश और धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है लेकिन वर्तमान समय में किसानों को धान बेचने के लिए मंडियों में होना चाहिए, आज पूरा किसान सड़कों पर है, आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है। पिछले 25 साल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान को धान बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, सड़कों की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, इतने वर्षों में पहली बार ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रहा है, किसान अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर आंदोलन के माध्यम मजबूर, लाचार और परेशान हो रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में यह स्थिति है। बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, बिलासपुर के बीच में ऐसी स्थिति है। आज किसान अपनी बात रखने के लिए किसके पास जाए, सरकार में बैठे हुए लोग सुन नहीं रहे हैं। कहीं पर बोरे की कमी है, कहीं पर टोकन नहीं कट रहा है, आज आप देख रहे हैं टोकन नहीं कटने की वजह से महासमुंद के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। सिर्फ महासमुंद की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में यह स्थिति हो गई है कि आज किसान अपनी बात रखने के लिए परेशान और मजबूर है। सभापति महोदय, अगर मैं किसानों की बात करूं तो बस्तर में सबसे ज्यादा किसानों को वन अधिकार पट्टा मिला है लेकिन किसान आज वन अधिकार पट्टे में अपना धान नहीं बेच पा रहा है। जब हम लगातार किसानों की बात सुनकर शासन, प्रशासन से बात कर रहे हैं तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि किसानों का जिस प्रकार से पंजीयन होना चाहिए, जिस प्रकार से व्यक्तियों को वन अधिकार पट्टा प्राप्त हुआ है, वह नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से किसान धान नहीं बेच पा रहा है। आदिवासियों को जो वन अधिकार पट्टा मिलता है, वह किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है, कहीं एग्रोटेक के नाम से परेशान किया जा रहा है, कहीं पर नेट नहीं चलने की वजह से परेशान हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। दूसरा, जहां पर टोकन कटना था, बस्तर के जो

दुर्गम क्षेत्र हैं, अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां पर नेटवर्क नहीं रहता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे किसान प्रभावित हो रहे हैं। वहां पर भी उन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है।

समय :

1.00 बजे

माननीय सभापति महोदय,हमाली का केन्द्र शासन से जो पैसा आता है, आज भी वह पैसा किसानों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। लेकिन वहां पर शासन-प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रबंध नहीं किया जा रहा है कि हमाली का जो पैसा केन्द्र शासन से आ रहा है, वह उन हमालों को मिले और किसानों का पैसा बचे या उनसे न लिया जाये। आज भी किसान अपनी धान की तौलाई में कांटा करने के लिए अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगातार धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था है। कहीं पर टोकन नहीं कट रहा है, कहीं पर हमाली का पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं पर सूखा के नाम से पूरे प्रदेश में 2-2 किलो, 3-3 किलो ज्यादा धान लिया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। ऐसे बहुत से किसानों को मालूम भी नहीं है कि उनका धान अधिक लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में ऐसा कुछ किया जा रहा है, जिससे 2-2, 3-3 किलो ज्यादा धान लेने का काम भी हो रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि सरकार बनने के बाद सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान लेंगे। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आज आप पूरे प्रदेश में पता लगा लीजिए। बस्तर में तो स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि बीजापुर जिले में आप 12 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक धान नहीं बेच सकते हैं। जब मैंने अधिकारी से इस बात को पूछा कि क्या ऐसा कुछ लिखित में आया है तो उन्होंने मुझे बताया कि लिखित में नहीं आया है, लेकिन मौखिक है कि हम इससे ज्यादा धान नहीं ले सकते हैं। किसान 20 क्विंटल, 21 क्विंटल धान बेचना चाह रहा है, लेकिन वह ले नहीं रहे हैं। वह सिर्फ 12 क्विंटल धान ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 क्विंटल धान से ऊपर नहीं ले रहे हैं। पूरे बस्तर और प्रदेश में यह स्थिति है। किसान लगातार परेशान है और अपनी बात रखने के लिए किसान शासन के पास जा रहा है, प्रशासन के पास जा रहा है, लेकिन उसको दबाने का काम हो रहा है, उन्हें आंदोलन करने से रोकने का काम हो रहा है। यह डबल इंजन की सरकार किसानों के हित में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी खेती-किसानी का महत्वपूर्ण समय है। सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए किसान हित में सरकार अविलंब ध्यान दें और जो अव्यवस्था फैली है, उसको ठीक करने का प्रयास सरकार की ओर से होना चाहिए। यह डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्री भोलाराम साहू।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, तब से छत्तीसगढ़ के किसान बहुत परेशान हैं।

सबसे पहले तो जब धान की बुआई प्रारंभ की गई तो आपके द्वारा किसानों को खाद की कमी का दु:ख झेलना पड़ा। इस वर्ष बरसात भी ढंग से नहीं हुई, जिससे किसान बहुत परेशान थे। फसलों को बीमारी भी लगी। विद्युत की भी बड़ी समस्या आयी। उसके बाद जैसे-तैसे करके किसान अन्न पैदा किया और अन्न पैदा करने के बाद जब धान बेचने की बारी आई तो आपकी सरकार के द्वारा सोसायटी में किसानों का पंजीयन करने में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। छोटे किसान तो धान बेच ही नहीं पा रहे हैं। 1 एकड़, 2 एकड़ जमीन वाले जो किसान हैं, वह ज्यादा परेशान हैं। उसका पंजीयन नहीं हो रहा है। न ऑनलाइन हो रहा है और न ऑफलाइन हो रहा है। बड़ी दिक्कत है। किसी भी तरह यदि किसी किसान का पंजीयन हो गया तो वह वहां नमी मापक यंत्र की तकलीफ झेल रहे हैं। नमी मापक यंत्र में इतनी परेशानी है कि किसान लिमिट से कम धान बेच रहे हैं। कई किसान सोसायटी से वापस आ रहे हैं। धान इतना सूखा है कि उनको पुराना धान है, कहकर वापस लौटाया जा रहा है। वह छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का दंश झेल रहे हैं। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो वन भूमि का पट्टा दिया गया है, उस पट्टे में किसी किसान का धान नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इतना संकट है। मंत्री जी, बहुत संकट है। किसान दु:खी है। बड़ा गंभीर विषय है। माननीय सभापति महोदय, बहुत संकट है। किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक सोमाचिटिया गांव है। वहां एक महिला का पति आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो गया और आज वह मृत हो गया। वह महिला 1 हफ्ते पहले सोसायटी में धान बेचने गई थी। वह अपने परिवार के ट्रेक्टर से ढुलाई करवा रही थी। ट्रेक्टर वाले एक ट्रिप धान ले गये थे और दूसरे ट्रिप में तहसील विभाग के कर्मचारी उन्हें पकड़ लिये और उस महिला को टेलीफोन किये कि क्या आपका धान भेज दे ? उन्होंने कहा कि हां भेज दिया। जबकि धान रास्ते में आना था। उनको तहसील और पटवारी के माध्यम से जब्त कर लिया गया। थाने में मुजरिम नहीं है बल्कि वहां किसान की गाड़ी सहित पूरा धान इकट्ठा हो गया है। किसानों को इतनी परेशानी हो रही है। क्या यही आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नियम, कानून, कायदे हैं ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बड़े किसान या छोटे किसान हैं, वे सब अपना धान बेच पाये। अभी तो धान का उठाव हो ही नहीं रहा है। बहुत-सी सोसायटियों में धान जाम हो चुका है और 1-2 दिन में उसकी खरीदी भी बंद हो जायेगी। यह बहुत भारी संकट है। सभापति महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें चर्चा करायी जाये ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस विषय पर बात आ सके। सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता जी के द्वारा और हमारे दल के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। यह सूचना हमारे किसानों और छत्तीसगढ़ के लिये हैं। हम लोग जय जवान, जय किसान का नारा लगाते हैं और हमारे ही जवान और किसान परेशान

हो यह हमारी सरकार के लिये बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसान बहुत ही मुश्किल से खेती-बाड़ी करता है और वह अकेले खेती नहीं करता बल्कि वह पूरे परिवार के साथ मिलकर, पड़ोसी के साथ मिलकर और गांव वालों के साथ मिलकर खेती करता है, तब जाकर वह खेती तैयार होती है। और भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे क्षेत्र में हाथियों का भी आतंक है, जिसके कारण किसान रात में जागकर फसल की रखवाली करता है ताकि जो खेती नहीं करते हैं उनको अनाज मिल सके। वह अरहर, उड़द, धान और गेहूं की खेती करता है। आज उसी किसान को सरकार के द्वारा धान खरीदी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सरकार का एक नियम बना है कि टोकन ऑनलाईन कटवाना है। एक किसान का पहला टोकन ऑनलाईन कट गया और दूसरा टोकन भी ऑनलाईन कट गया और जब वह टोकन को मंडी में लेकर जा रहा है तो वहां बोला जा रहा है कि आप बड़े किसान हैं और आपको 15 दिन बाद टोकन कटवाना चाहिए था और तब आना था। ऐसा कौन-सा नियम है और क्या उनको सूचना दी गयी है कि आप दोबारा टोकन नहीं कटवा सकते ? उसमें आप लोगों का कुछ ऑप्शन रहता है, उसमें उसको रोक देना चाहिए था। किसान गाड़ी को किराये में लेकर उसमें धान को लोड करवाकर वहां लेकर गया है और वहां ढाला करने के बाद उसको वापस कर दिया जा रहा है। यह कहां का न्याय है ? सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्र भी है और आप भी अपने तखतपुर क्षेत्र के बैगा और गुनिया की बात करते हैं। वहां किसानों के पास मोबाईल नहीं है तो उसके पास ओ.टी.पी. कहां से आयेगा ? जिसके पास मोबाईल नहीं है वह Agri-stack कैसे करायेगा ? इसमें भी वहां यह जो नियम लागू किया गया है उसके लिये अभी-भी समय है। वहां जो आर.आई. और पटवारी है, वह उन किसानों का Agri-stack करवा दे और उनका टोकन कटवा दे। यदि टोकन कट भी जाता है तो वहां बड़े किसान हैं, वे देख रहे हैं कि इस किसान के पास 10 एकड़ की खेती है। उस हिसाब से सरकार के नियम के अनुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जायेगा। यह हमारे नेताओं ने तय किया है और हम जानते हैं कि किसान सक्षम हो चुके हैं। इनके धान के रकबे की पैदावार बढ़ चुकी है। इस हिसाब से कांग्रेस सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदना तय किया था और आप लोगों ने उसमें 1 क्विंटल बढ़ाकर उसे 21 क्विंटल तय किया है। हम किसी न किसी तरह जानते हैं कि किसान का रकबा बढ़ा है, उसकी खेती की उपज बढ़ी है इसलिए हमने यह तय किया है। यह किसानों की मांग थी कि हमारा इतना धान होता है। आज हम लोग 25 से लेकर 30 क्विंटल तक धान की पैदावार करते हैं तो क्यों नहीं हमारी सरकार द्वारा उस हिसाब से धान की खरीदी की जाये ताकि किसानों को राहत मिले। माननीय सभापति महोदय, एक बात और है, सभी डरे हुए हैं, यहां छत्तीसगढ़ में भय का माहौल है। अभी गर्मी की खेती करने का समय आयेगा, जिनके पास साधन है, हमारे यहां जंगल में बहला जमीन, झूका जमीन है, वह लोग खेती करते है। हाथियों के, जंगली जानवर के भय के कारण भी झूका जमीन में खेती करते हैं। उसमें पानी, बिजली की जरूरत नहीं है। झूका जमीन, जिसको पझरा पानी कहते हैं, उसमें खेती करते

हैं। किसान लोग डरे हुए हैं। आज राइस मिलर को इतना धमकाया, डराया जा रहा है। समिति केन्द्र में सरकार के द्वारा जो धान खरीदी की गई है, सरकार के द्वारा ही राइस मिलर को धान दिया गया है, उसी को आप वहां पर जा कर जब्ती बना रहे हैं। कहत हे करबो गा बबा। इस सरकार से किसान चिंतित है कि हम लोग कैसे करेंगे। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा, सब लोग समझदार हैं, सब लोग किसान परिवार के हैं। माननीय कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, हमारे खाद्य मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के किसान लोग बैठे हुए हैं। आप लोग विचार कीजिए। हमारे किसान अन्नदाता हैं। हम लोग खुद किसान हैं। किसान अपने लिए फसल पैदा नहीं करता, वह दूसरों के लिये भी फसल पैदा करता है। सबका भरण-पोषण करता है। इसलिए किसानों को हर तरह से सुविधा मिलनी चाहिए। आप अपने अधिकारियों, जिला कलेक्टर, एस.डी.एम. को निर्देश करें कि किसानों से सही तरीके से धान की खरीदी करें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, धान के कटोरा के नाम से विख्यात, 33 जिलों को अपनी बाहों में समेटे हुए देश का बहुत ही प्यारा अंचल छत्तीसगढ़ है। जहां किसान खेती से करोड़ों जनता का पेट पालते हैं, जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं।

सभापति महोदय :- आप तो प्वाईंट में आ जाईये न। जो-जो खामी, कमी है, वह बता दीजिए। बाकी तो सब बोल डाले हैं। आप प्वाइन्टेंड बोलते जाईये न, आपकी बात को नोट करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही आ रहा हूं। आप यह देख लीजिए कि इस प्रदेश का क्या हाल है। किसान त्राहि-त्राहि है। अपना धान बेचने के लिये जिसे सोसायटी का चक्कर लगाना पड़े, किसान लोग दिन-रात रतजगा कर रहे हैं। उससे और भयावह स्थिति यह है कि मानक तौल के नाम पर समिति में और धान खरीदी केन्द्र में जो खेल चल रहा है, किसानों के साथ बड़ा धोखा चल रहा है। कहीं 40560, 40580 लेना चाहिए तो 40200 और 41500 ले रहे हैं। यह किसानों के साथ बड़ा धोखा रहा है। टोकन की व्यवस्था को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। सुबह 8.00 बजे चालू होता है और 3 मिनट के बाद सांय-सांय गोल-गोल घूमता है। सभापति महोदय, यह व्यवस्था चल रही है। यह किसान की थोड़ी भी चिंता इस सरकार को है तो ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन की सीमा को बढ़ायें। क्योंकि यह अपने चहेतों को जो धान खरीदी केन्द्र में प्रबंधक या अध्यक्ष के रूप में बनाये हैं, वह केवल अपने ही लोगों के धान ऑफलाइन माध्यम से खरीद रहे हैं और बाकी किसान परेशान हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी पंजीयन के नाम से एक बड़ा मामला मेरे यहां से आया था। कांदुल के किसान चोआराम धनकर जिसकी ज्यादा जमीने हैं, 0.38 हेक्टेयर है, उसमें केवल 8 हेक्टेयर पर धान की फसल दिख रही है, बाकी पर नहीं दिख रही है। कोंगनी के एक किसान के पास 2.53 हेक्टेयर धान है, केवल 0.53 में दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा है। यह किसकी तरफ से हुआ है। वन अधिकार पट्टा और मंदिर की जमीन की बात रही और सबसे बड़ी बात शहीद परिवार को जो शहादत के लिये

जमीन उसके परिवार को मिली है, मैं बताना चाहूंगा कि कारगिल शहीद दुर्वासा निषाद के परिवार को जो जमीन मिली है, उसका भी पंजीयन नहीं हो पा रहा है। वह धान नहीं खरीद पा रहे हैं। यह स्थिति निर्मित है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 2003 में एक कमेटी बनाई गई थी और एक व्यवस्था दी गई थी कि शहीद के परिवार को सरकार जो जमीन देती है, उसे भी खरीदा जाये। आज ये सरकार उनके साथ भी अन्याय कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि धान का परिवहन नहीं हो रहा है, इसलिए न तो आप लिमिट बढ़ा रहे हैं और न ही समिति में व्यवस्था दे रहे हैं। सबसे पहले आप राइस मिलर्स से पंजीयन करवाईये । आर.ओ., डी.ओ. करवाईये, परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाईये तभी वह किसान धान बेच पायेंगे नहीं तो फिर बफर लिमिट होगा, आप बढ़ायेंगे उसके बाद क्या स्थिति निर्मित होगी, यह आप सब देख रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों किसानों से जमीन सरेंडर करवा रहे हैं, यह दुर्भाग्य है । मेरे यहां बालौद जिले में किसानों को समर्पण का 1-2 टोकन जिसका कट गया, जो बचा हुआ धान है उससे लिखवा रहे हैं कि आप धान नहीं बेचेंगे, आप लिखकर दे दीजिये, ऐसा कहकर समर्पण करवा रहे हैं, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है और आप एक-एक दाना खरीदने की बात करते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मुश्किल से 4-5 किसानों का पंजीयन होता है क्योंकि आपकी लिमिट कितनी है, 1200 क्विंटल-1500 क्विंटल । कितने किसानों का होता है, यह स्थिति आज पूरे प्रदेश में चल रही है, यदि आप लिमिट बढ़ा दें, ऑफलाईन की प्रक्रिया में आप 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दें तो सुविधा अगर किसानों को मिलती तो निश्चित ही खरीदी में भी तेजी आयेगी और सबसे बड़ी बात है कि आप परिवहन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, यह दुर्भाग्य है । माननीय सभापति महोदय, जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक प्रबंधक, भृत्य, चौकीदार आंदोलन को कुचलने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया, उस पर एस्मा लगाया गया। उसके घर में उसे नजरबंद किया गया और उसका कार्यदिवस जो 12 महीने था, उसे भी आपने 6 महीने करने का प्रयास किया है तो वह 6 महीने काम करेंगे और 6 महीने कैसे करेंगे ? और उसके बाद जो समिति में यहां काम कर रहे हैं उसे अन्य ब्लॉक, अन्य तहसील में भेजा जा रहा है । मुश्किल से 8000, 9000-10,000 रूपये मिलते हैं, वह तो उसके आने-जाने में ही खर्च हो जायेगा तो सरकार यह व्यवस्था कर रही है । यह सरकार कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक प्रबंधक, भृत्य, चौकीदार के साथ भी अन्याय कर रही है । अब तो किसानों को अगर सबसे ज्यादा कोई भरोसा होता है तो वह समिति में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी को वह इसलिये होता है क्योंकि वही समिति के कर्मचारी चाहे वह सहायक प्रबंधक हो या अन्य हों, किसानों से कर्जा लेवाते हैं और अपने रिस्क पर वह गारंटर बनते हैं क्योंकि किसानों के घर किसी के यहां शादी है, किसी के घर कोई मंगल का काम है तो ऐसे में वही सहायक प्रबंधक गारंटर बनकर काम करते हैं तो उनके साथ ऐसा जो अन्याय हो रहा है वह अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बालौद जिला में एक बड़ा मामला आया । जिसके बारे में माननीय सदस्या संगीता सिन्हा जी ने भी प्रश्न लगाया कि वहां के जो फड़ हैं, धोबनपुरी और जगतरा में फड़ मुंशी के द्वारा, फड़ के प्रभारी के द्वारा लगभग 43,235 क्विंटल धान के शॉर्टेज का मामला उनके ऊपर आया, एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है और 9 करोड़ 97 लाख यह शासकीय आंकड़ा है, यह आपके माध्यम से आया है तो इतना धान अभी तो चालू नहीं हुआ है, वह स्थिति है और उसके बाद सोचिये अभी एकाध-दो महीने के बाद क्या स्थिति निर्मित हो सकती है तो हम तो चाहते हैं कि जिस हिसाब से इस सरकार का घोषणा-पत्र रहा है कि 3100 रूपये प्रति क्विंटल में एक किस्त में पैसा देंगे, धान खरीदेंगे, पंचायत के माध्यम से देंगे, यह सब कहां है ? माननीय सभापति महोदय, यह किसानों के साथ सरासर धोखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इसे ग्राह्य करके चर्चा करायी जाये । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप जी ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- आप सीधे-सीधे जो कमी-खामी है उसमें आ जाईये । भूमिका में मत रहियेगा ।

श्री ब्यास कश्यप :- जी, सीधा । कोई भूमिका नहीं । माननीय सभापति महोदय, पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान से ही यहां के जितने नागरिक हैं उन सभी का उदर-पोषण होता है । भौतिक सुख-साधन से लेकर सभी आवश्यक चीजें जुड़ी हुई हैं तो इसलिये वर्तमान समय में मेरा इस विषय पर चर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी और 2500 रूपये की बात हुई, उसके बाद किसानों में उत्साह बढ़ा और उनके पंजीयन की जो संख्या है वह लगातार बढ़ी और 2500 रूपये से लेकर आज छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रूपये मिल रहा है इसलिये आज 27 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है परंतु वर्तमान समय में जो पिछली खरीदी थी और आज की खरीदी का जो लक्ष्य आपने बढ़ाया है लेकिन खरीदी की हालत क्या है, अव्यवस्था कितनी है, इस विषय को ग्राह्य कराकर चर्चा करना आवश्यक था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो विषय रखा है यहां उस विषय पर कह रहे हैं। कभी कहना है, आपने कह दिया है। आप देखें कि 1 महीना हो गया । पहले 1 नवम्बर को धान खरीदी होती थी और आज 2 महीना हो गया। 15 नवम्बर से लेकर 15 दिसम्बर तक, धान खरीदी कितनी हुई है मात्र 35 लाख मीट्रिक टन। इनका लक्ष्य कितना है 1 लाख 60 हजार मीट्रिक टन की खरीदी करेंगे। इसमें 45 दिन का कुल समय है। इन 45 दिनों में 10-12 दिन तो हमारी छुट्टी पर निकल जाएंगे। आप यह अनुमान लगाईये कि हमारे किसानों का धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंच पायेंगे या नहीं पहुंच पायेंगे। लगभग किसानों का टोकन ही नहीं कट पा रहा है और टोकन नहीं कटने का एक मात्र कारण है कि एग्रीटेक पोर्टल में जो किसानों के

लिए समस्या उत्पन्न हुई उसके लिए आज भी सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि किसान तहसीलदार, एस.डी.एम. और पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं और लगातार हम जनप्रतिनिधियों को फोन भी आ रहा है कि यह कैसे जुड़ेगा। किसानों को के.वाई.सी. के नाम से भी बैंक में जाना पड़ रहा है। जब तक वह के.वाई.सी. नहीं करेंगे, आपका खाता नहीं खुलेगा। वहां उसके बगैर धान खरीदी नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टारगेट रखा है कि एक किसान जिसका 2 एकड़ जमीन है, वह एक बार में देगा और 10 एकड़ का किसान दो बार में देगा, परन्तु जो 10 एकड़ का किसान है वह ज्यादा परेशानी में है। उसकी अलग-अलग गांवों में खेती है, उसके रकबे नहीं जुड़ पाये हैं आज भी 4 लाख से अधिक रकबे नहीं जुड़ पाये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय ब्यास कश्यप जी, यह सब भाषण हो चुका है। आप नया कुछ बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं नया तो बोल रहा हूँ आप मेरी बात सुन तो लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नया कहां बोल रहे हैं। सब उसको सुन चुके हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं नयी बात बोल रहा हूँ

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कहां नयी बात बोल रहे हैं? आप कुछ नयी बात बोलें तो हम बैठकर सुनें।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। मैं स्वयं किसान हूँ।

सभापति महोदय :- आप एक मिनट, मेरी बात सुनिये। आप बिल्कुल गुस्सा मत करिये। आप बढ़िया बोल रहे हैं। आप बोलिए, मैं यह बोल रहा हूँ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अगर उधर से बात आएगी तो इधर से जवाब तो चलेगा।

सभापति महोदय :- आप इधर देखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में किसी भी प्रक्रिया में चाहे वह विनियोग हो, ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो। किसी भी वक्ता के द्वारा अमूमन वह बात नहीं कही जाती, ऐसी परम्परा नहीं है जो कही जा चुकी हो। माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय अन्य सदस्यों ने यह बात कही है। आप कोई नया तथ्य हैं उनको यहां पर कहना चाहिए।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं आपको नये तथ्य बता रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि नया तथ्य नहीं है तो यह मान लें कि यह चर्चा पूरी हो गई। माननीय सभापति महोदय, आपको यह अधिकार है।

श्री ब्यास कश्यप :- अब आप नई बात सुन लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय,यहां पर कोई नयी बात नहीं आ रही है। यह औपचारिक स्थगन है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं नयी बात कह तो रहा हूँ।

सभापति महोदय :- एक मिनट। आप भी बैठिए। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि भाई, जो कमी हो, वह उसके बारे में उल्लेख करेंगे । मैंने पहले ही भूमिका के लिए मना कर दिया था। वह बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी व्यवस्था के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। आप इतने दिनों से हाऊस में है। किसी भी चर्चा में वही-वही बात नहीं बोली जाती है।

सभापति महोदय :- मैंने उनको पहले ही बताया।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसी भी चर्चा में वही बात बोली जाती है जो पहले नहीं बोली गयी हो।

सभापति महोदय :- मैंने उनसे चर्चा शुरू करने के पहले कहा था।

श्री ब्यास कश्यप :- अब तो सुन लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इनको ओपनर बना देना था।

श्री ब्यास कश्यप :- आप सुनने के लिए तैयार रहिये।

सभापति महोदय :- माननीय ब्यास जी, आप मुझे देखकर बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको देखकर बोल रहा हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इसीलिए बोला था कि आप इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें। माननीय अजय जी को बोलने की आदत है उनके मुंह में खुजली हो रही है। अब ब्यास जी को वह बोल रहे हैं कि आप वही-वही बात मत बोलिएगा, लेकिन वही-वही बात बोलते उनको तीन बार हो गया। अभी तीन बार हो गया, वह फिर वही बोलेंगे। यह चौथी बार होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे आग्रह के बाद भी वह बात जारी रही इसलिए मुझे वह बात कहनी पड़ी।

सभापति महोदय :- नहीं। अब वह बंद कर दिये। आप अपनी बात बोलिए।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी कैसे व्यवस्था चाहेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं वयवस्था बता रहा हूँ।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मेरी चिंता यह है कि ब्यास जी के आगे पुन्नूलाल जी हैं अब पुन्नूलाल जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इधर का हूँ या इधर का हूँ।

सभापति महोदय :- वह कुछ दिनों में समझ जाएंगे। आप बोलिए। आप बढ़िया बोल रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप तो समझ गये हो न ?

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, 4 लाख जो रकबे नहीं जुड़ पाये हैं। यह नहीं जुड़ पाने का खामियाजा जो है, मैं इसमें स्वयं शामिल हूँ। अभी पहले निकला था तभी मुझे फोन आया कि भईया आपका पंजीयन...।

श्री अजय चन्द्राकर :- होटल बंद कर देस का ?

श्री ब्यास कश्यप :- होटल तो चलबे करथे भैया, खेती-किसानी मोर मूल काम हे । एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने कई बार प्रयास किया, दूसरे से अपना रकबा जुड़वा पा रहा हूं, परन्तु इतनी क्या त्रुटि है कि सामान्य किसान के साथ-साथ एक सक्षम किसान हूं, मैं 10-12 एकड़ में खेती करता हूं, पर मेरे रकबे भी आजतक नहीं जुड़ पाए हैं । इतना घोर लापरवाही है । मेरे पास दो-तीन बार ओटीपी आ गया, मैंने दो-तीन बार ओटीपी बता दिया । अभी फोन आया था कि भैया, आपके खेत का पंजीयन नहीं हो पाया है तो पता नहीं ऐसे कितने किसान होंगे, जिनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है । नतीजा यह हो रहा है कि कुछ ही किसान अभी धान बेच पाए हैं, अभी तक मात्र 35 लाख मेट्रिक टन की खरीदी हुई है और लक्ष्य 160 लाख मेट्रिक टन धान का है । सभापति जी, अगर हम आंकड़ों की ओर जाएंगे तो मैंने शुरू में ही कहा था कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ के इसी धान से हमारा पूरा सिस्टम चलता है और उस सिस्टम को सुधारना हो तो सरकार को किसानों के हित में बेहतर निर्णय करने पड़ेंगे, परन्तु वर्तमान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धान की खरीदी न कर पाएं, हमें बोनस न देना पड़े । चूंकि पिछले वर्ष 149 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, उसमें से लगभग 19 लाख मेट्रिक टन को बेचना पड़ा था और 21 सौ करोड़ रूपए से अधिक की राशि का नुकसान प्रदेश की जनता का हुआ था, सरकार का नहीं। ऐसे आंकड़े बहुत सारे हैं । न छत्तीसगढ़ सरकार के पास ठीक से गोदाम की व्यवस्था है । इस वर्ष अगर सरकार 160 लाख मेट्रिक टन धान खरीदती है तो 107 लाख मेट्रिक टन चांवल आएगा, उस चावल को रखने की भी व्यवस्था नहीं है । यह पहले से पूर्वानुमान रखकर किसानों को परेशान कर रहे हैं, ताकि जनवरी तक किसानों के धान मंडियों तक न पहुंच पाए और सरकार इससे मुक्त होना चाहती है, यह सरकार प्राईवेटाईजेशन की ओर बढ़ रही है इसीलिए छत्तीसगढ़ विधान सभा में भी इसका प्रस्ताव समय-समय पर रखे जाते हैं, ताकि ओपन मार्केट में खरीदी हो ।

सभापति महोदय, अव्यवस्था बहुत सारी है । मैं तो यह बात कहना चाहूंगा कि आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सितम्बर तक मेरे पास जो आंकड़े आये हैं, उसमें कोटे का 20 प्रतिशत राज्य का और केन्द्र का 51 प्रतिशत चावल है । माननीय बघेल जी ने कहा कि जितना भी धान ले गए हैं, सरकार

उतनी पूर्ति नहीं कर पाई है। इस वर्ष 160 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है । आप भण्डारण की क्षमता देखेंगे तो प्रदेश मात्र 43 लाख टन की क्षमता है, जबकि लक्ष्य 160 लाख मेट्रिक टन का है । इसके लिए भी सरकार चिन्ता कर ले क्योंकि इसी धान और इसी चावल से सरकार का लक्ष्य है । धान खरीदी होती है तो 3100 रूपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलता है । उसका उठाव नहीं होने के कारण हमें बड़ी कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है । पूर्ववर्ती सरकार में 15 क्विंटल धान की खरीदी की जाती थी तो 107 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की जाती थी, जब 21 क्विंटल धान किसान बेचने को तैयार हुए तो 149 लाख मेट्रिक टन हम दे पाए, परन्तु मुख्य बिन्दु यही है कि किसानों को क्षेत्र में बार-बार आन्दोलन करना पड़ रहा है, धान खरीदी केन्द्र में एक-एक सोसायटी में 300 क्विंटल, 500 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है । यह मजाक हो गया है । जब लक्ष्य बड़ा है तो खरीदी का ज्यादा लक्ष्य दीजिए न । हम कलेक्टर महोदय को बोलते हैं तो कलेक्टर बोलते हैं कि यह राज्य सरकार का निर्णय है, मैंने प्रस्ताव भेजा है, पर अभी तक वह नहीं हो पाया है । अगर लक्ष्य बढ़ाना है तो मंडियों में, धान खरीदी केन्द्रों में जो आवक क्षमता है, उसको बढ़ानी होगी । टोकन काटने का जो 30 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर को दिया गया है, उसका भी प्रतिशत बढ़ाए । किसान का सब कुछ कौन हैं? वहीं मंडी में कार्यरत् कर्मचारी ही है । किसान भाई तो ठीक से पोर्टल खोल नहीं पाते तो सोसायटी में ऑपरेटर को अधिक टोकन काटने का अधिकार दें, ताकि किसान भाई वहां से जाकर अपना टोकन कटवा सके, लक्ष्य को बढ़ाया जाये, तभी समय-सीमा में हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा पाएंगे ।

सभापति महोदय, मुख्य बिन्दु यह है कि जो अनावारी रिपोर्ट आई है, वह एक समस्या है । छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिगण बैठे हैं, कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, दयालदास जी भी बैठे हैं, जिनके मार्फत से खेती होती है । एक विषय पर बड़ी गंभीर समस्या है। आप लोगों के द्वारा जो एग्री पोर्टल रखा गया, उसके आंकड़े और गिरदावरी के आंकड़े में रकबा तो वही बता रहा है, परन्तु फसल दूसरा-दूसरा होने के कारण किसान का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। किसान अपना धान बेचने से वंचित होते जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान समय पर पूरा कर लें। आपके धान खरीदी का लक्ष्य जनवरी, 2026 तक है, तब तक किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह पंजीयन की समस्या, चाहे टोकन की समस्या हो, धान नहीं बेच पाने की समस्या हो, कृपा करके इसको बंद मत करिये। अगर आपका लक्ष्य 1.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है, तो जब तक 1.60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद लें, 27 लाख किसानों का जो पंजीयन है, जब तक सभी किसान अपने पंजीकृत रकबे का धान नहीं बेच पाये तब तक लगातार यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार से यह विशेष मेरी मांग और आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, आपका आदेश हुआ है, अजय भइया कहां चले गये ?

सभापति महोदय :- नहीं, आप मेरी तरफ देखकर बोलो। मैं भी आपको कोई आदेश नहीं किया हूं।

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं, आपने कहा कि आप अपनी बात कहिये।

सभापति महोदय :- आप अपने मन से बंद करियेगा। आप बढ़िया बोल रहे हैं तो मैं भी सुन रहा हूं, पूरा सदन सुन रहा है। लेकिन आपके तरफ से अभी 10 लोग और बाकी हैं। कृपया सहयोग करिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, यह मेरा मुख्य विषय है। यही विषय था कि हमारे किसान वर्तमान में तकलीफ पा रहे हैं। हमारे सभी सम्माननीय सदस्यों ने जिन बातों की ओर चिंता व्यक्त की है, वर्तमान समय में लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक महीने में मात्र 35 लाख टन धान खरीद पाये हैं। आपकी खरीदी का लक्ष्य 1.60 लाख मीट्रिक टन का है। शेष 45 दिनों का समय है, उसमें 10-15 दिन तो छुट्टी में निकल जायेगा। लगभग एक महीने का समय है। इसलिए आप अनुमान लगा लीजिये कि छत्तीसगढ़ सरकार को 1.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने हेतु लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो छत्तीसगढ़ सरकार समय बढ़ाना की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और किसानों के लिए जाना जाता है। पिछली 5 साल की सरकार के समय दूसरे प्रदेशों, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में जाते थे तो वहां के किसान बोलते थे कि आपके यहां के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां किसानों को 2500/- रूपया क्विंटल धान की कीमत दे रहे हैं। इसी कारण आज धान की कीमत 3100/- रूपये हुई। हमारी सरकार के समय हमारा पहला ध्यान, हमारी पहली प्रायरारिटी थी कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों की तरफ ध्यान दें। परन्तु इस सरकार के आने के बाद यह स्थिति है कि आज जब हम मण्डियों में जा रहे हैं, धान खरीदी केन्द्रों पर जा रहे हैं तो वहां अधिकारियों के मन में कोई भय नहीं है, ना कोई डर है और ना ही किसानों के प्रति समर्पण है। वहां पर केवल भ्रष्टाचार का आलम है। कहीं गिरदावली के नाम पर रकबा काट दिया जा रहा है, कहीं एग्रीटेक के नाम पर रकबा काट दिया जा रहा है। हर सोसायटी में यही शिकायत है कि किसानों की जमीन का रकबा काट दिया जा रहा है। किसी किसान के 5 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ निरस्त कर दिया गया, अन्य फसल लगा दिया गया, ऐसा हो रहा है। हमारे यहां से एक तुगलकी आदेश निकला है कि केन्दा में 14 क्विंटल धान खरीदेंगे, बेलगहना में 15 क्विंटल धान खरीदेंगे, रतनपुर में 18 क्विंटल धान खरीदेंगे। भाई, आप ऐसा तय करने वाले कौन होते हो कि हमारे यहां 14 क्विंटल धान हुआ है ? वह तो किसान तय करेगा। अगर पड़ोस का किसान अच्छी खेती करता है, सही समय पर पानी देता है, सही समय पर खाद डालता है तो हो सकता है कि उसके खेत में 25 क्विंटल धान हो। इसको अधिकारी कैसे तय करेंगे कि उनके खेत में इतना धान हुआ है ? ना तो पहले ऐसा कोई सर्वे हुआ। अचानक एक तुगलकी आदेश निकाल दिया।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान कर्ज लेकर फसल उगाता है। उसको ख्याल रहता है कि जब मेरी फसल कटेगी तो मुझे जल्दी से जल्दी पैसा मिलेगा। पूरे 80 दिनों तक धान

की खरीदी होनी है, परन्तु स्थिति यह है कि आज 30 दिन निकल चुके हैं और लगभग 10 दिन छुट्टी का मान लीजिये। 40 दिन, आधा समय चला गया है, लेकिन अभी तक केवल 20 प्रतिशत धान की ही खरीदी हुई है। इस सरकार का ध्यान अन्नदाताओं की तरफ है ही नहीं। आने वाले समय में क्या होने वाला है ? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होने वाला है, किसान कर्ज के बोझ से लदा हुआ है। मगर इस सरकार का ध्यान वही पर है। मैं एक कॉलेज के कार्यक्रम में गया था तो उन्होंने कहा कि काले हीरे की सुनहरी धरती में आपका स्वागत है। काला हीरा मतलब कोयला, सुनहरी धरती मतलब किसान का धान। अब इनका ध्यान काले हीरे को खोदने में लगा हुआ है। सुनहरी धरती की पैदावार करने वाले किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शोले पिक्चर में धमेन्द्र और अमिताभ बच्चन का एक डॉयलाग था कि- ठाकुर साहब, आपने जो तिजोरी दिखाकर गलत किया। इसीलिए जो यहां सरकार बैठी हुई है, यह अडानी और अंबानी को बस्तर की तिजोरी दिखा रही है और किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है। सरगुजा खुद रहा है, बस्तर खुद रहा है। सरकार का एक भी या कोई भी नुमाइंदा किसानों के बारे में बात नहीं करना चाहता है। हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, पटवारी और तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी इतने सिर चढ़े हुए हैं कि उनको कोई डर सरकार का नहीं रह गया है।

श्री भूपेश बघेल :- छत्तीसगढ़ी में कहावत है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हां जी।

श्री भूपेश बघेल :- दुठी कोतरी ला भले दे दे, लेकिन डबरी पतल मत बता, रस्ता ला मत बता। तो ये सरकार उही बूता करथे।

श्री रामकुमार यादव :- ए मन दहरा ला बता देहे साहब।

श्री भूपेश बघेल :- दुठी कोतरी ला दे दे अउ दहरा के रस्ता ला मत बता।

श्री रामकुमार यादव :- ए मन दहरा ला बता दे हा।

श्री दिलीप लहरिया :- ओखर बाद बार बार आना होत हे अमित शाह जी के।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी पहचान हमारे किसान हैं। आप ध्यान दीजिए आज यहां पर किसान हाहाकार कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, पर वहां पर बस्तर पंडुम बस्तर ओलंपिक हो रहा है। इस देश के गृह मंत्री के लिए ऐसी क्या बात हो गई? दिल्ली में बम फूट रहा है, पर उनको बस्तर आने की चिंता है। महीने में तीन बार बस्तर आ रहे हैं। अब तो आप लोग अपनी आंखें खोलिए। आखिर इस छत्तीसगढ़ से क्या लूटना चाहते हैं? कहां किसानों को कटोरा पकड़ाना चाहते हैं। या हमारी पूरी खनिज संपदा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रखी गई है, उसको बेचने का प्लान बना रहे हैं। न बस्तर में खेती होगी, न सरगुजा में खेती होगी और अगर सरगुजा पूरा गड्ढा हो गया, खदानें खुद गईं तो आपका बांगो डैम, जो

छत्तीसगढ़ की जान है, पूरा जांजगीर रायगढ़ के लिए सूखा हो जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। लोगों का ध्यान बंटा रही है। किसानों की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। किसानों की धान खरीदी की तरफ ध्यान होना चाहिए, पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी मंडी नहीं जा रहा है। किसानों की समस्या नहीं सुन रहा है, यह बहुत ही विकराल स्थिति है। सभापति महोदय, इसलिए हमारे नेता जी ने जो स्थगन लाया है, उसको ग्राह्य किया जाए, उसमें यहां पर चर्चा करायी जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- ठीक। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- सभापति जी, धन्यवाद, आज दो वर्षों की सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौपल इंजन की सरकार बैठी हुई है, जिन्होंने अपनी इंजन की बहुत तारीफें कीं और वह इंजन ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, जिससे आज किसान इतने परेशान हैं। हम लोगों ने जो स्थगन लाया है, आज आप सबकी व्यवस्थाओं को सुन रहे हैं, आज धान खरीदी में किस कदर अन्नदाता हमारे किसान परेशान हैं, जिनकी एकमात्र आय का साधन अभी धान है, जो पूरे साल भर की जीवन की उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसको तय करती है। आज आप देख रहे हैं। जहां सरकार कहती है कि 21 क्विंटल की धान की खरीदी करेंगे, लेकिन सोसाइटियो में अभी जाकर हम लोगों ने निरीक्षण किया और हमको जो पूरा आंकलन मिल रही है, एक किसान का सिर्फ 12 क्विंटल या फिर 15 क्विंटल से ज्यादा खरीदी नहीं हो रही है। चूंकि आज की स्थिति में जो किसान हैं, वे कर्जों में ऐसे ही डूबते जा रहे हैं। ऐसे भी सरकार ने कर्ज माफ नहीं की थी और समय में जैसे उनको मिलना चाहिए 3100 रूपये एकमुश्त देने का वादा जैसे सरकार ने की थी, वह भी नहीं मिल रहा है और समय में उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। सभापति जी, आपको बताना चाहूंगी कि आज जो पंजीयन की व्यवस्थाएं इन्होंने की हैं, उसे हम लोगों ने 25 वर्षों में कभी नहीं देखा। पंजीयन की व्यवस्था इतनी खराब है कि सबसे शुरुआत में जब गिरदावरी का सर्वे होता है तो युवाओं को लगा दिया जाता है। उनको बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं दी गयी, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं कि कैसे सर्वे करना है। सर्वे में ऐसे नए युवाओं को लगा दिया गया। पटवारियों और ग्राम सेवकों ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। बाद में फिर से पुनः सर्वे करवाया गया, उसमें भी बहुत से किसान का रकबा शून्य ही पाया गया। बहुत से किसान भटकते रहे। तहसीलदारों के ऑफिस के चक्कर, कई जगहों पर पटवारियों के पीछे लगे रहे। पटवारियों ने अपनी व्यवस्था बनाकर रखी कि हम कैसे इस समय कमाई कर लें। उन्होंने भी किसानों का रकबा सुधारने या फिर उनका खसरा सुधारने में अपनी कमाई का एक स्रोत बना लिया। ऐसे में बहुत से किसानों का पंजीयन आज भी अधूरा है। 5 प्रतिशत किसान आज भी पंजीयन नहीं कर पाए हैं और आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से किसान जो अभी बेचने के लिए गए हुए हैं, उनसे 40.700 खरीदी करने के बजाय उनका धान सिर्फ 41.700 या

250 खरीदी कर रहे हैं जो कि पूर्णत: गलत है, किसानों के साथ धोखा है। जब आपका नियम है और आपके द्वारा 40.700 किया गया है, आप उसको बढ़ाकर धान खरीदी कर रहे हैं । आप किसानों का ज्यादा धान खरीद कर रहे हैं। जो 40.700 खरीदना है, उसको बढ़ाकर 41.700 क्यों खरीदी की जा रही है? यह तो किसानों के साथ सरासर धोखा है। आज भी सोसायटियों में धान खरीदी में डी.ओ. कटा नहीं है तो उठाव नहीं हो पाएगा और कुछ समय बाद भराव के कारण धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। ऐसे में अन्नदाता किसान अपना धान कैसे बेचेंगे? सरकार न फसल नुकसान का मुआवजा दी है, न ही बीमा दी है। किसान कर्ज में ऐसे डूबे हुए हैं, उसके बाद भी अभी धान खरीदी में वह धान बेच नहीं पा रहे हैं। सरकार डबल इंजन, चौपल इंजन के नाम पर मोदी की गारंटी की बात करते थे। क्या मोदी की गारंटी साबित हो रही है? साबित नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि आज जिन किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है तो क्या वे 15 नवंबर से लेकर 31 नवंबर तक अपना धान बेच पायेंगे? जिस हिसाब से हमारे सदस्य श्री ब्यास कश्यप जी रिकॉर्ड बता रहे थे, वह आज की स्थिति में बहुत कम मात्रा में धान की खरीदी हुई है। क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है इसलिए उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस विषय को ग्राह्य करके इस पर चर्चा करवायें और इसका व्यवस्थित निर्णय निकले, ताकि किसान अपना धान पूर्ण रूप से बेच सके।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय, बेटियां बाप की रूह होती हैं। किसी बाप का किरदार जानना हो तो देखना चाहिए कि उसके घर बेटियां मुस्कुराती कितना हैं। उससे उनके बाप के किरदार का पता चलता है। यही बात सरकार पर लागू होती है। अगर सरकार का किरदार देखना है तो हमें यह देखना चाहिए कि उनके किसान, उनकी जनता कितना मुस्कुराती है। अगर आज हम किसानों की स्थिति देखेंगे तो अब फिर से वही दिन वापस आ गये हैं, जो पहले आत्महत्या के लिए प्रेरित था। हमारी सरकार के पहले डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी। मैं उस दिन को याद करना चाहती हूं, जिस समय संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में चार किसान थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी। छत्तीसगढ़ में इसका अलग से आंकड़ा होगा। वही दिन की शुरूआत फिर से शुरू हो चुकी है कि एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आज मैं सरकार की स्थिति देखती हूं कि यहां सब लोग मुस्कुराते हुए बैठे हैं। इनको चिंता करने की आवश्यकता है कि हम किसान को कैसे लाभ दें, उनकी धान की खरीदी कैसे करें? उन्होंने वर्ष 2047 की बात की है। मैं यह बात रखना चाहती हूं कि कोई भी कार्य के पहले उसकी योजना बनाई जाती है। वर्ष 2047 के लिए योजना बनी है और आज से क्रियान्वयन होगा, उस योजना के तहत काम होगा और वर्ष 2047 में लागू होगा। किसान का धान कैसे न खरीदे, इसका प्लानिंग पहले ही हो चुका है। यही प्लानिंग के तहत आपने डी.ए.पी. खाद नहीं दिया है। शुरू से आपने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया था। जब किसान धान की बुवाई कार्य शुरू किया, धान

के बुवाई के के समय उत्पादन के लिए खाद की जरूरत होती है, वहां पर आपने खाद नहीं दिया है। उन्होंने कर्जा ले-लेकर तीन हजार रूपये में डी.ए.पी. खाद खरीदा और धान का उत्पादन किया। जब धान का उत्पादन हुआ और धान को समेट कर अपने घर में ला लिये, उसके बाद आपने धान खरीदी को 15 नवंबर कर दिया। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरूआत हुई थी। लेकिन आपकी सरकार आते ही उसको 15 नवंबर कर दिया। ठीक है, हम उसमें भी सहमत हैं कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरूआत हुई, लेकिन जब हम 15 नवंबर को सोसायटियों में गये तो सब सोसायटी सुना था। अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो आधा सोसायटी खुला था और आधा सोसायटी बंद था। यह छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति है। कई सोसायटियां आज तक खुला नहीं है और अभी भी कई सोसायटियों में धान खरीदी का कार्य नहीं हो रहा है। आदरणीय सभापति महोदय जी, जब आप प्लॉनिंग करते हैं तो धान खरीदी केन्द्र की शुरूआत कहां पर होगी, वहॉ कितने ऑपरेटर बैठेंगे, वहॉ कितने काम करने वाले होंगे, यहॉ तो उस समय ऑपरेटर गायब थे, आपरेटर धरना-प्रदर्शन में थे ? आपने उनकी मांगे नहीं सुनी है, कुछ भी नहीं सुना और एकतरफा काम से निकाल दिया ? जब नये ऑपरेटर आये, उनको तो कुछ आता ही नहीं था, वह तो कम्प्यूटर में कुछ कर ही नहीं पाते थे । कई किसानों को ऑनलाईन करने में 3-4 दिन लग गये और पैसा तो आपका आया नहीं, क्योंकि उनको एन्ट्री करना नहीं आता, वह रजिस्टर में एंट्री करके 3-3, 4-4 दिन तक रखे हैं । आपका कार्य 15 नवम्बर से शुरू होना था, लेकिन अभी तक लाईनअप नहीं हुआ है । सभापति महोदय, मैं शुरू दिन गई हूँ । शुरू दिन वहॉ धान का बोरा रखा हुआ था, उसमें मेरा हाथ डलता था । मैंने इसका फोटा वायरल किया था । सभापति महोदय जी, बोरा भरा हुआ रखा था और हाथ डलता था । बोरा में पैरा भर-भर के उसमें धान भरे हैं, आप बताईये यह शुरूआत दिन की स्थिति है, यह पहले दिन की स्थिति है । आप अभी देख लीजिए । जब कर्ज के कारण किसानों का सुसाईड किया जाना शुरू हुआ, जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान कर्ज में डूबता गया है । हमारी सरकार आई तो हमने कर्जमाफी किया था और हमारे शासनकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं किया है, आप पांच साल का रिकार्ड निकालकर देख लीजिए । अब यह फिर से शुरू हो गया है ।

सभापति महोदय, मैं धान खरीदी पर आती हूँ और इसकी शुरूआत होती है टोकन से । एक दिन पहले टोकन शुरू किये, 8 बजे टोकन शुरू हुआ और 8 बजकर 3 मिनट में खत्म । मुझे यह समझ नहीं आता कि टोकन कौन काटता है, टोकन कहां पर निकला, कितने टोकन लिये उसका कोई रिकार्ड नहीं है ? सभापति महोदय, 70 परशेंट ऑनलाईन टोकन है और 30 परशेंट ऑफलाईन टोकन है । इसे मेरे विधान सभा में चालू नहीं किया गया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री जी वहॉ गये और कलेक्टर मैडम को चैलेंज किये तब वहॉ पर ऑफ लाईन खरीदी शुरू हुआ । शुरू तो हुआ, उसके बाद समर्पण कराना स्टार्ट हो गया । किसान भाई से लिखवाकर लेना शुरू कर दिये कि हम धान नहीं बेचेंगे, इतना ही धान बेचेंगे, हमारा

हो गया, यह क्या है सभापति महोदय ? आपने 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया, एक-एक दाना धान खरीदने का वादा किया, आज आप 15 क्विंटल-12 क्विंटल में आ गये ? आपका टोकन तो गोल-गोल घूम रहा है, जो एक एकड़ वाले हैं, दो एकड़ वाले हैं, उनका टोकन तो ऑफ लाईन से ले लो, उन बेचारे के पास तो मोबाईल भी नहीं है, आप इसे ऑफलाईन में तो लीजिए ? जो धान काट चुके हैं, वह सूख चुका है, आज गरीब लोगों के घर में धान रखने की जगह नहीं है तो वह दूसरे के घर में रखे हैं, वहॉ चूहे का प्रकोप है, उनका धान कहॉ जा रहा है यह पता नहीं चल रहा है । मेरा निवेदन था कि जो टोकन का है, वह गरीब लोगों के लिये, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो एक एकड़-डेढ़ एकड़ खेत है, उनके लिये खोल दिया जाये । अभी तो हमारे सामने सरकार बैठी है । आप जितने छोटे किसान है, उनका आदेश कर दें । सभापति महोदय जी, मैं परसों निरीक्षण में गई थी । वहॉ पर हो क्या रहा है कि ऑफलाईन 18 नंबर तक सही चल रहा है, 18 नंबर के बाद 19 वें नंबर पर 45 नंबर टोकन वाले का धान बिक गया, क्योंकि वह भाजपा का व्यक्ति है । सभापति महोदय जी, मैं सरकार के ऊपर आरोप लगाती हूँ कि ऑफलाईन टोकन खुलता है, वह सिर्फ इनके व्यक्ति के लिये खुलता है । वह भी 45 नंबर का टोकन 19 वें नंबर पर बिक गया, यह सरकार की कैसी व्यवस्था है ? मैं तो सिर्फ एक सोसायटी की बात कर रही हूँ, यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहा है । सरकार को चाहिये कि वह इस बात को संज्ञान में ले । सभापति महोदय जी, उसके बाद जो लिमिट है, 7.5, 13 ऐसी स्थिति है । आज 20 परशेंट धान खरीदी है । अभी तक स्पीड से कहीं पर भी धान खरीदी शुरू नहीं हुआ है, उसके बावजूद उठाव नहीं होने के कारण सोसायटी पूरा भर चुका है । आपके धान नहीं खरीदने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ दिनों बाद आप धान खरीदी बंद कर देंगे, क्योंकि उठाव नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, हमारे किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है, हम सुबह उठते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधि के घर सुबह से फोन आना शुरू हो जाता है, किसान आना शुरू कर देते हैं कि हमर टोकन ला कटवा दो। अब हम उनको क्या बताएं ?

सभापति महोदय :- और कुछ बोलना है तो जल्दी बोल लीजिए, अभी बहुत से लोग बाकी हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जो हमारी सरकार की पार्टी है, सिर्फ उन्हीं का टोकन कटेगा, हमारा टोकन, किसी गरीब इंसान का टोकन नहीं कटेगा, ये स्थिति है। आपका प्लानिंग सक्सेस हो रहा है, आप धान खरीदना नहीं चाहते। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में लोग कर्ज से मुक्त हुए थे, फिर वही दिन आ रहा है किसान कर्ज में डूबते जाएंगे फिर से आत्महत्या की शुरूआत हो चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है, धान खरीदी का मुद्दा बहुत गंभीर है, इस धान खरीदी के मामले को ग्राह्य करके उसमें चर्चा कराई जाए ताकि आप भी उसमें भाग ले सकें, हम सही निर्णय लेकर किसानों के साथ न्याय कर सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री इंद्रशाह मंडावी (मोहला मानपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सिर्फ अपने क्षेत्र की दो चार बातें रखूंगा।

सभापति महोदय :- बहुत बढ़िया साहब।

श्री इंद्रशाह मंडावी :- सभापति महोदय, एक गांव छछानपारी है, वहां पर एक एक किसान देवीलाल धान बेचने गया, 350 क्विंटल धान 41,500 के हिसाब से बेचा, उससे 10 कट्टा एक्स्ट्रा धान लिया गया है, मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने कलेक्टर से बात की और फिर वहां के प्रबंधक को सस्पेंड किया गया, उसका नाम गिरधर साहू है, वह आज भी वहीं पर काम कर रहा है, माननीय भोलाराम साहू जी के विधान सभा क्षेत्र का है। धान खरीदी केन्द्र में ऐसी नौबत न आए, मैं आपसे चाहता हूं कि जहां भी ऐसी सूचना मिलती है, वहां ध्यान दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक और किसान रामलाल सलामे, कमकासुरगांव का है, उनका सिर्फ साढ़े तीन एकड़ खेत है, दो लाख रूपए लोन लिए हैं, उनका सिर्फ 37 डिसमिल रकबा ही पंजीयन है, मैं चाहता हूं कि उनका एग्रीटेक हो जाए नहीं तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर धान खरीदी केन्द्र में बहुत ज्यादा समस्या है, मुश्किल से एक धान खरीदी केन्द्र में 15 से 20 किसान ही अपना धान बेच पा रहे हैं, जबकि वहां पर हजारों किसान है, उसकी लिमिट भी बढ़ाई जाए। आप इसको ग्राह्य करके किसानों के हित में चर्चा करें। आदरणीय संगीता सिन्हा जी बोल रही थी, टोकन सिर्फ भाजपा के किसानों का कट रहा है, इसमें किसान किसी के नहीं हैं, किसान पूरे छत्तीसगढ़ के हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है, इसको ग्राह्य करके चर्चा कराएं ताकि इसमें सभी लोग भाग ले सकें। धन्यवाद

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार एक ओर किसान हितैषी होए के बात करथे, बड़े-बड़े दावा करथे कि किसान मन के हितैषी अन करके लेकिन वहीं पर दूसर तरफ किसान ला न तो खाद दे सकत हे, न बीज दे सकत हे, गिरदावरी से ले करके आज टोकन अउ भुगतान पाए बर किसान जगह-जगह भटकत हावए। राज्य सरकार के किसान विरोधी नीति के चलते महासमुंद जिला के बागबाहरा विधान सभा के एक किसान साथी मनबोध तांडी जेखर नाम अभी कई बार दोहराए जा चुके हे, जो कि गाड़ा समाज से बिलांग करथे, ये व्यक्ति आत्महत्या करे बर मजबूर होईस। आज वो अस्पताल में अपन जीवन और मृत्यु के बीच में ओखर जिंदगी ह झूलत हावए ओ हा लड़त हावए। जब माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार रिहिस तो ओ समय 25 लाख से अधिक किसान समर्थन मूल्य में धान बेचत रिहिस हे लेकिन अभी जो एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन होए हावे। ओमा मात्र 20 लाख किसान के पंजीयन होए हे, बाकी 5 लाख किसान पंजीयन नहीं कराए पा हे।

समय :
1.55 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, जेखर चलते ओ धान नहीं बेच पात हे अउ आज भी किसान दर-दर भटकत हे कि ओखर पंजीयन कइसे होए। मैं बताना चाहत हो कि आज पंजीयन के आखिरी तारीख हे अउ आज भी मैं मोर विधान सभा के बात करहूं तो 100 से अधिक किसान के पंजीयन नहीं होए पा हे। मोला किसान के अभी भी बार-बार फोन आवत हे कि मैडम, हमर पंजीयन नहीं होए हे, पंजीयन करा देवो तो अगर किसान के पंजीयन नहीं होही तो ओ धान कइसे बेचही? पंजीयन बर किसान ऑफिस में दौड़ लगात हे। चाहे एस.डी.एम. ऑफिस हो, एस.डी.एम. ऑफिस जात हे तो तहसीलदार करा जाओ कहात हे। तहसीलदार कहात हे कि आप पटवारी करा जाओ अउ जब ए सब ले थक जात हे, तब किसान विधायक के पास पहुंचत हे। जब विधायक फोन करत हे तो ओ कहात हे कि ऐखर जो सुधार होही, ओ एन.आई.सी. से होही अउ एन.आई.सी. के अधिकारी ला जब फोन लगाथन तो एन.आई.सी. के अधिकारी के फोन स्वीच ऑफ बताथे। एमा किसान कइसे करे? धान खरीदी बर सरकार के ओर से agristack portal शुरू करे गेहे। पंजीयन किसान बर जी के जंजाल बन गेहे। धान खरीदी बर तैयार करे गे घटिया सॉफ्टवेयर के चलते प्रदेशभर के किसान परेशान हे। मैं महासमुंद जिला के सराईपाली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भगतसराईपाली के बात करहूं तो इंहा के 123 किसान अउ ग्राम कलेंडा के 500 से अधिक किसान के धान ला सुगंधित धान के श्रेणी में रख दिए गेहे, जेखर चलते किसान हा अपन धान ला नहीं बेच सके। अब जिम्मेदार अफसर मन के पास में शिकायत करे ले जिम्मेदार अफसर हा एक-दूसर के ऊपर थोपकर पल्ला झाड़ लेवत हे तो किसान अइसे में कइसे करे? मोर क्षेत्र के एक किसान के मात्र 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन हवे। ओखर केवल 20 डिसमिल जमीन हर पंजीयन हो हे अउ 1 एकड़ ला उड़ा दे हे। अइसे बहुत सारा किसान हे। बड़े किसान मन के 20-20 एकड़ जमीन हे, जेमे के 15 एकड़ रकबा ला उड़ा दे गे हे अउ ओ मन मात्र 5 एकड़ में धान बेच पाही तो ए शासन का चाहत हे? अगर किसान के धान नहीं खरीदना हे तो बोल देवे, किसान धान बेचे बर पंजीयन नहीं करावे। आज किसान एखर सेती परेशान हे कि ओखर पंजीयन नहीं हो पा हे। एखर अलावा ओखर धान के श्रेणी मा सुगंधित धान कर दे हे तो ए जो नवा-नवा व्यवस्था शासन देत हे, तेखर चलते किसान परेशान हे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। इन्द्र साव जी।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ए मोर क्षेत्र के बात हे, मोल रखन देओ। मोर क्षेत्र के एक अउ मामला हे। मैं आप ला बताना चाहत हो कि शासन से जो मिले हुए जमीन हे अउ वन अधिकार पट्टा के जो जमीन हे, ए जमीन के पंजीयन नहीं होवत हे। एखर चलते पिछले सरकार में हमर भूपेश बघेल जी के जो सरकार रीहिस हे, ओ समय एमे धान खरीदे जात रीहिस हे, लेकिन अभी एखर

पंजीयन नहीं होए हे, जेखर चलते किसान धान नहीं बेच पात हे। साथ ही हम जानत हन कि किसान गर्मी महीना में दूफसली कमाथे। गर्मी महीना में जेन धान आथे, ओखर तो खरीदी नहीं होए तो ओ धान ला किसान अपन घर मा रखे हे। अभी जो जांच टीम बने हवे, ओ किसान मन के घर अंदर घुस-घुस के जांच करत हे अउ ओखर जब्ती बनात हे अउ जब्ती नहीं बनाए के एवज में ओ मन से 20-20, 30-30 हजार रूपये के मांग करे जात हे। कम्प्यूटर ऑपरेटर मन के हड़ताल रीहिस हे, ओ मन के ऊपर एस्मा लगा के ओ मन ला थाना में बिठा दिये गिस। साथ ही पहले भूपेश बघेल जी के सरकार में ओ मन ला 12 महीना के तन्ख्वाह मिलत रीहीस हे, अभी ओ मन ला 6 महीना के तन्ख्वाह कर दे गे हे। एमन ला निकाले के एवज मा प्लेसमेंट कंपनी ला आदेश दे दिए गिस कि आप भर्ती करो। प्लेसमेंट कंपनी हा आउटसोर्सिंग करके स्थानीय बेरोजगार मन ला प्राथमिकता न देते हुए आउटसोर्सिंग करते हुए 2-2, 3-3 लाख रूपये लेके भर्ती कर दिस अउ पूरा धान खरीदी चरमरा गे हे। मैं आपसे मांग करत हो कि हमर नेता प्रतिपक्ष जी हा जो मांग करे हे, ऐखर स्थगन ला स्वीकार करते हुए चर्चा कराए जाए।

अध्यक्ष महोदय :- इन्द्र साव जी। सब मुद्दे आ गये हैं। आप आपके क्षेत्र का कोई विषय हो तो बोल दीजिए। बहुत सारे विषय आ गये हैं।

श्री इन्द्र साव (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। हम राज्य स्थापना के रजत वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा न हो कि यह रजत वर्ष किसानों की दुर्गति के नाम से जाना जाए। यह एक बहुत बड़ी विडम्बना होगी। हम तो चाहते हैं कि सरकार समय रहते जितनी भी समस्याएं हैं, उसका तत्काल निराकरण करें। आज प्रदेश में समस्याएं तो हैं ही परंतु यदि मैं अपने जिले बलौदाबाजार-भाटापारा की बात करूं तो हमारे भाटापारा विधान सभा के सिमगा ब्लॉक में एक बनसांखरा सोसायटी केन्द्र है। वहां सोसायटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके घर से 110 कट्टा धान बरामद हुआ, उसमें 60 क्विंटल धान अवैध रूप से बरामद किया गया परंतु उसमें कार्रवाई नहीं की गयी। वहां कलेक्टर के द्वारा लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जितनी भी बातें हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा रखी गयी है, जिसमें लिमिट की भी बात हुई। टोकन की जो समस्या है या रकबा कम होने की जो समस्या है या जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं, जो तौल 40.500 कि.ग्रा. होना चाहिए वह सूखत के नाम पर 41 कि.ग्रा. एवं 42 कि.ग्रा. तौल हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बिटकुली सोसायटी केन्द्र है, जिसकी शिकायत मिलने पर हम वहां उपस्थित हुए। वहां एक कट्टा पहले से तौला गया था, उसका हमने फिर से तौल करवाया तो उसमें 42.500 कि.ग्रा. था। धान खरीदी में इतनी गंभीर स्थिति चल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इस अनियमितताओं पर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री ओंकार साहू।

श्री ओंकार साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने किसानों के धान खरीदी के विषय में जो स्थगन लाया है, जिनकी ग्राह्यता पर अभी चर्चा हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या सिर्फ नेता जी ने लाया है, उसमें आपका दस्तखत नहीं है ?

श्री ओंकार साहू :- सभी लोगों ने लाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका दस्तखत है या नहीं ?

श्री ओंकार साहू :- वे हमारे लीडर हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका दस्तखत है न ?

श्री ओंकार साहू :- सबके सामूहिक दस्तखत हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां ठीक है।

श्री ओंकार साहू :- अध्यक्ष महोदय, आज उसकी ग्राह्यता पर चर्चा चल रही है और जिनमें सभी सदस्यों ने बारी-बारी से अपनी बात रखी है। सबसे पहली बात तो पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा जो धमतरी जिला है और धमतरी विधान सभा धनहा धमतरी के नाम से जाना जाता है। धनहा धमतरी में धान खरीदी के नाम पर लूट मची है। सोरम ग्राम की एक बहुत बड़ी घटना है। वहां एक राईस मिलर के ठिकाने में खाद्य विभाग के द्वारा छापा मारा जाता है और उस राईस मिलर को उसके दूसरे दिन हार्ट अटैक आ जाता है। उस राईस मिलर के यहां 6 करोड़ रूपये के धान की छापामारी की गयी है जो कि अवैध है क्योंकि उनके द्वारा कस्टम मिलिंग के नाम पर धान भण्डारण करके रखा गया था। उस धान को खाद्य विभाग द्वारा जब्ती किया गया और उनको हृदयघात हो गया। मैं एक और घटना बताता हूं कि मैं भटगांव ग्राम पंचायत में एक खरीदी केन्द्र में निरीक्षण के लिये गया। वहां किसानों के लिये न ही शौचालय की व्यवस्था है और न ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। इस धान खरीदी में बहुत सारी अनियमितताएं पायी जा रही है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि शासन द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की गयी है तो सबसे पहले उसके समय को बढ़ाना चाहिए और कम से कम 28 फरवरी तक धान की खरीदी की जानी चाहिए। मेरी दूसरी मांग है कि जो लिमिट तय की गयी है, उसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा 2 हजार क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान था, उसे लागू किया जाना चाहिए। मेरी दो-तीन और समस्याएं हैं। अभी-भी वन अधिकार पट्टा में कहीं-कहीं पर खरीदी की जा रही है और यह सभी जगहों पर नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो नियम..।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आपके सम्मानीय विधायक सिर्फ सुझाव दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं। वह बाकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। आप पूरा भाषण निकलवाकर देख लीजिए। उन्होंने दो-तीन मांग की है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वे नए सदस्य हैं और बोल रहे हैं। इसके पहले तो उन्होंने मांग की कि स्थगन को ग्राह्य कराकर चर्चा करायी जाये और नेता जी ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है, वे उसका समर्थन करते हैं। यह माननीय सभी सदस्यों ने कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने मांग की है कि यह-यह करिये। मैं नेता जी को यह अवगत करा रहा हूं कि उन्होंने कोई आलोचना नहीं की है। वे संतुष्ट हैं।

श्री ओंकार साहू :- अजय भैया, में हर अभी बोलहू न रूक न ग। में हर बोलत हव न अभी बोलना बंद नहीं करत हव। में हर ऊंही बात ला बोलहू तो आप मन बोलहू कि वो बात बार-बार आ चुके हे तो में हर नया चीज ला बतात हव जो मोर क्षेत्र के मांग हे। आप मन अगर बोलहू तो में हर शुरू से चालू करहूं। खातू से चालू करहूं, पानी से चालू करहूं तो आप फिर बोलोगे कि रिपीट करत हे कहि के।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ओंकार जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला, समाप्त करिये।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, सभी सम्माननीय सदस्यों ने जो स्थगन लाया है, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि किसानों की छत्तीसगढ़ में जो दुर्दशा है, उसमें सुधार होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी, वक्तव्य देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक आग्रह है कि 51 नये सदस्य हैं। प्रैक्टिस के लिये दो-चार ग्राह्यता और ग्राह्य में करके चर्चा कराईये। तब वह जानेंगे कि कैसे होता है। उनकी गलती नहीं है। वह जानें कि पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, वह पहली बार बोल रहे हैं, उनको कैसे पता लगेगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह रोज बैठेंगे तो सीख जायेंगे। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो प्रैक्टिस करवाने के लिये दो-चार ऐसे ही ग्राह्य कीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास मंहत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विशेष प्रकरण मानकर पूरे छत्तीसगढ़ की चिंता मानते हुए माननीय अजय चन्द्राकर जी को एक बार बोलने की अनुमति दीजिए ताकि वह ग्राह्य कैसे होता है, समझा दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप स्वीकार कर लें कि हम अक्षम हैं तो मैं सब कर दूंगा। आप खड़े होकर स्वीकार कर लीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- हम अक्षम हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप ग्राह्यता पर चर्चा करा रहे हैं, इसलिए सब लोग निवेदन कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो ग्राह्यता पर भी नहीं बोले, वह तो मांग किये कि अवधि बढ़ा दीजिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप ओपन मांइड से बोल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी शुरू करिये।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाह रहा था। बस दो मिनट का समय दे दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, बाद में ले लेंगे। अब मंत्री जी, खड़े हो गये हैं न।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय दे दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, वह सबसे बड़े किसान हैं, 300-400 एकड़ में खेती करते हैं, उस पर दो मिनट के लिये आपकी कृपा हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- वह शुरू हो गये हैं।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 2739 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। धान की खरीदी हेतु दिनांक 15 नवंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। राज्य में किसानों से धान खरीदी हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। यह कहना सही नहीं है कि जिन किसानों ने पिछले साल धान बेचा था, उनका पंजीयन नहीं हो रहा है और किसान पंजीयन की कार्यवाही को जटिल बना दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसान पंजीयन का कार्य एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से प्रचलित है। वर्तमान में धान की खरीदी हेतु 27.40 लाख किसानों, धान का रकबा 34.39 लाख हेक्टेयर का पंजीयन किया गया है। जबकि गत वर्ष 25.49 लाख किसानों द्वारा रकबा 28.76 लाख हेक्टेयर समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था। इस प्रकार गत वर्ष विक्रय किये गये किसानों के विरूद्ध लगभग 7.5 प्रतिशत किसान एवं 19 प्रतिशत रकबा का पंजीयन अधिक हुआ है। इस वर्ष धान बेचने हेतु भारत सरकार के एग्रीस्टेक पंजीयन पोर्टल में पंजीयन किया जाना है। यह कहना सही नहीं है कि वन अधिकार पट्टेधारियों से धान की खरीदी नहीं की जा रही है, अपितु एग्रीस्टेक पंजीयन से संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया/रेगिहा), डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान, ग्राम कोटवार (शासकीय पट्टेदार) श्रेणी के किसानों को छूट प्रदान की गई है। किसान पंजीयन का कार्य वर्तमान में भी प्रचलित है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जितने सदस्य हैं, वह बिना देखे बोले हैं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उसको देखकर ही पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छा है कि उसको टेबल कर दें। सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, वक्तव्य को पढ़ा ही जाता है। आप प्रक्रिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसमें एक भी बिन्दु गलत जो जायेगा तो मंत्री जी की जवाबदारी होती है। आप बहुत सीनियर हैं, इसलिए कृपया बैठिये। चलिये, आप चालू करिये।

श्री दयालदास बघेल :- यह कहना सही नहीं है कि एग्रीस्टेक पोर्टल 2025-26 तक अपडेट नहीं होने के कारण धान उत्पादक किसानों के रकबे में भिन्नता के कारण पूरा धान विक्रय नहीं हो पा रहा है, अपितु समितियों में रियल टाईम पर खसरे को अपडेट किये जाने का प्रावधान उपलब्ध है। वर्तमान में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर किसानों से 35.45 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है । वर्तमान में 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान खरीदी हेतु जारी किया जा चुका है । टोकन व्यवस्था का सरलीकरण कर दिया गया है अब किसान 24 घंटे अपना टोकन "तुंहर टोकन" एप के माध्यम से टोकन ले सकते हैं । किसानों द्वारा आगामी 20 दिवस के टोकन प्राप्त किये जा सकते हैं । 70 प्रतिशत टोकन मोबाईल एप के माध्यम से एवं 30 प्रतिशत टोकन समिति के माध्यम से जारी किया जा रहा है । किसान अपनी सुविधा अनुसार टोकन प्राप्त कर धान खरीदी केंद्रों में बेच रहे हैं । दिनांक 11.12.2025 की स्थिति में 7 हजार 771 करोड़ राशि का भुगतान किसानों को समर्थन मूल्य का किया जा चुका है। धान खरीदी का कार्य निरंतर प्रचलित है ।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समितियों को धान खरीदी कार्य हेतु मंडी लेबर चार्ज के रूप में 22.05 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मंडी लेबर चार्ज प्रदाय किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त किसानों से बोरा भराई हेतु किसी प्रकार की राशि नहीं लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं । समितियों को धान का भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 5 रूपये प्रति क्विंटल एवं समिति कमीशन की राशि धान कॉमन हेतु 31.25 रूपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान हेतु 32 रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है । समिति में शून्य कमी आने पर 5 रूपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है । समिति में धान खरीदी कार्य के लिए सूखत मान्य नहीं है । समितियों को धान खरीदी एवं भण्डारण आदि कार्य हेतु लगभग प्रतिवर्ष 900 करोड़ रूपये की राशि प्रदाय की जाती है ।

यह कहना सही नहीं है कि किसानों को बोरा भराई करने हेतु कहा जाता है । यह कहना भी सही नहीं है कि अनेक खरीदी केंद्रों में 1 से 2 किलो ग्राम तक सूखत के नाम पर अधिक धान लिया जा रहा है ।

खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा धान की अरवा मिलिंग पर समर्थन मूल्य का 0.5 प्रतिशत सूखत मान्य किया गया है । उसना मिलिंग पर सूखत मान्य नहीं है। अत: समितियों को धान खरीदी कार्य के लिए समुचित राशि प्रदाय किये जाने के कारण प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है ।

यह कहना सही नहीं है कि आनावारी रिपोर्ट को आधार मानकर सोसायटियों में 12 क्विंटल से

15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है । अपितु राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी किये जाने के निर्देश धान खरीदी नीति में दिये गये हैं ।

भारत सरकार के द्वारा दिये जा रहे प्रशासनिक व्यय की राशि धान खरीदी की उपार्जन एजेंसी को प्रदाय की जाती है, विपणन संघ द्वारा उक्त जारी का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है । खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए केंद्रीय पूल अंतर्गत 73 लाख टन चावल उपार्जन की अनुमति दी गई है । राईस मिलों के द्वारा 133.11 लाख टन का अनुबंध मिलिंग हेतु किया गया है ।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में अन्य पड़ोसी राज्यों से अवैध धान की आवक एवं कौचियों-बिचौलियों द्वारा धान खपाने के प्रयास पर नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है । जिलों में विशेष चेकिंग दल का गठन राजस्व, खाद्य, सहकारिता, वन, मंडी आदि विभागों के अधिकारियों का गठन कर किया गया है । धान के अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु मार्कफेड मुख्यालय स्तर पर स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (ICCC) की स्थापना की गई है । अभी तक प्रदेश में अवैध धान परिवहन/भण्डारण के 2000 से अधिक प्रकरण बनाये गये हैं जिसमें अब तक 1.93 लाख क्विंटल का अवैध धान जब्त किया गया है । खरीफ विपणन वर्फ 2024-25 में उपार्जित समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 149.25 लाख टन धान का उपार्जन किया गया था। केन्द्रीय पूल अंतर्गत 78 लाख टन चावल लिये जाने की अनुमति खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा दी गयी थी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में मिलर द्वारा 128.43 लाख टन धान का उठाव किया गया है। धान की नीलामी एवं प्राईस मेंचिंग के माध्यम से 19.03 लाख टन धान का निराकरण किया गया है। कस्टम मिलिंग अंतर्गत 66.75 लाख टन चावल का उपार्जन किया जा चुका है। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा धान निराकरण की समयावधि दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक निर्धारित की गयी है।

सभी समितियों में पर्याप्त कर्मचारी हैं जो विगत कई वर्षों से धान खरीदी का कार्य संपादित कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य शासन द्वारा किसानों से सुव्यवस्थित रूप से धान खरीदी किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। उपार्जित धान के निराकरण हेतु आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं। अत: किसान हित को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीदी के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि धान का निराकरण नहीं हुआ है। अप्रैल, 2026 तक चावल जमा करना है। आपने यह भी स्वीकार किया। दूसरी बात यह है कि जितने भी एफ.आर.ए. के तहत जो पट्टा मिला है वहां खरीदी नहीं हुई। सारे माननीय सदस्यों ने कहा, लेकिन आपने कहा कि खरीदी हो रही है तो आप यह आदेश जारी करेंगे क्या ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि लिमिट बढ़ाने का काम हो। क्योंकि जिन खरीदी केन्द्रों में 2000 था अब वह 1000-1200 है, क्या आप यह बढ़ायेंगे ? अभी जिन किसानों से जो पैसा ले लिया गया है, जिसके बारे में माननीय नेता जी ने बात उठायी है कि किसानों से साढ़े 7 रूपया लिया जा रहा है। जिन लोगों से पैसा ले लिया गया है, उसे वापस करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचार तथा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे सदस्यों ने, किसानों को धान खरीदी में हो रही गलतियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। माननीय मंत्री जी, अभी आप किसी भी खरीदी केन्द्र में जाकर देखा है कि वहां क्या हो रहा है ? यहां पर आपने जो भी कथन किया है, वह सब असत्य कथन है। वहां आज भी टोकन की समस्या है। आज भी हमारे साथियों, किसानों को आपके रजिस्ट्रेशन से समस्या है। आज भी जितनी धान खरीदी हो जानी चाहिए, वह नहीं हो रही है। हम लोगों ने जो मांगे की हैं आप उन पर क्या करने जा रहे हैं, आप यह बताना नहीं चाहते हैं या आप जानते नहीं हैं। यह सब बातें हमारे जेहन में नहीं उतर पा रही हैं। हम लोग आपके जवाब से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और यदि आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर लें तो उचित है। नहीं तो आगे हम बड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। आज हम आपके जवाब से असंतुष्ट होते हुए, इस सदन से बहिष्कार करते हैं।

समय
2.18 बजे

बहिष्कार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गये)

समय
2.19 बजे **जुलाई, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय :- जुलाई, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूँ।

समय
2.20 बजे

नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूँ।

समय :-
2:20 बजे

माननीय राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक एवं षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में पारित कुल 14 विधेयकों में से शेष बचे 02 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के जुलाई, 2025 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से सभी 13 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक एवं षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में पारित कुल 14 विधेयकों में से शेष बचे 02 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के जुलाई, 2025 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से सभी 13 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :-

2:22 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री विक्रम मण्डावी (अनुपस्थित)

(2) छत्तीसगढ़ में हेल्थ इंश्यारेंस कम्पनियों एवं निजी अस्पतालों द्वारा क्लेम सेटलमेंट तथा कैशलेस सुविधा में अनियमितता

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश में संचालित विभिन्न हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं, विशेषकर कैशलेस उपचार सुविधा एवं क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में निजी बीमा कंपनियों तथा प्राइवेट अस्पतालों द्वारा की जा रही लगातार देरी, मनमानी एवं नियम-विपरीत कार्यवाहियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । कैशलेस उपचार स्वीकृति (Pre-authorization) को जानबूझकर घंटों या कई-कई दिनों तक लंबित रखा जा रहा है, जिससे मरीजों का उपचार बाधित हो रहा है। कई निजी अस्पताल बीमा योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं या मनमाने कारण बताकर कैशलेस सुविधा देने से मना कर देते हैं। बीमा कंपनियाँ उपचार उपरांत क्लेम सेटलमेंट में अत्यधिक विलंब कर रही हैं, जिससे अस्पताल मरीजों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। इन अनियमितताओं के कारण आम जनता, विशेषकर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार, गंभीर आर्थिक एवं मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों में शासन-प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- यह कहना सही नहीं है, कि प्रदेश में संचालित विभिन्न हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं, विशेषकर कैशलेस उपचार सुविधा एवं क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में निजी बीमा कंपनियों तथा प्राइवेट अस्पतालों द्वारा की जा रही लगातार देरी, मनमानी एवं नियम विपरीत कार्यवाहियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। वस्तुस्थिति यह है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना-शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का संचालन प्रदेश में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निर्बाध गति से कैशलेस उपचार सुविधा आमजनों को दी जा रही है तथा क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया भी नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ लगातार की जा रही है। निजी बीमा कंपनियों के कार्य के संबंध में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जाता है।

यह कहना भी सही नहीं है कि कैशलेस उपचार स्वीकृति (Pre-authorization) को जानबूझकर घंटों या कई-कई दिनों तक लंबित रखा जा रहा है. जिससे मरीजों का उपचार बाधित हो रहा है। सरकार

द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना-शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त कैशलेस उपचार स्वीकृति को समयावधि में पूर्ण किया जाता है तथा समस्त हितग्राहियों के उपचार को बाधा रहित संचालित किये जाने हेतु कड़ी निगरानी की जाती है।

यह कहना सही नहीं है, कि कई निजी अस्पताल बीमा योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं या मनमाने कारण बताकर कैशलेस सुविधा देने से मना कर देते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना-शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर शासकीय या निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्यवाही की जाती है, जिसके अंतर्गत चेतावनी दी जाती है/निलंबन की कार्यवाही की जाती है या गंभीर प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की अवस्था में पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही की जाती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना-शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत क्लेम सेटलमेंट में किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जाता है तथा इस संबंध में किसी भी अस्पताल द्वारा मरीजों पर अनावश्यक दबाव डालने की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना-शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कुल 82 लाख, 19 हजार परिवार के सदस्यों के कुल 02 करोड़, 44 लाख आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 15 लाख, 40 हजार से अधिक प्रकरणों पर कुल रूपये 2183 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में (14 दिसम्बर, 2025 तक) कुल 09 लाख 94 हजार 909 प्रकरणों पर कुल रूपये 1569 करोड़ के निःशुल्क उपचार का लाभ दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में (14 दिसम्बर, 2025 तक) कुल 1143 प्रकरणों पर कुल रूपये 44 करोड़, 27 लाख का उपचार प्रदाय किया जा चुका है।

योजना में अनियमितता बरतने वाले अस्पतालों पर निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में आज दिनांक तक 277 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 51 अस्पतालों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। 18 अस्पतालों पर निलंबन के साथ-साथ अर्थदण्ड दिया गया है तथा 41 अस्पतालों को योजना से पृथक करने की कार्यवाही की गई है। योजना के अंतर्गत मरीजों को अनावश्यक परेशान करने वाले एवं योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों से कुल 04 करोड़, 23 लाख, 40 हजार रूपये की राशि की वसूली भी जा चुकी है।

प्रदेश की सरकार द्वारा आम जनता, विशेषकर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार, गंभीर आर्थिक एवं मानसिक संकट का सामना कर रहे समस्त मरीजों एवं उनके परिजनों को दी जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के कारण मरीजों एवं उनके परिजनों में शासन प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निजी बीमा कम्पनियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है ना कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे बीमा के बारे में था। कुछ निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के नाम बताना चाहूंगी, जिसमें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, नीवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला इंश्योरेंस लिमिटेड, केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहती हूं कि इन कम्पनियों पर निगरानी हेतु मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित किया जाये, जिससे इन कम्पनियों पर नियंत्रण किया जाये। इससे आम जनता को सही समय पर लाभ मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के कर्मचारी एवं अन्य जनता अपने खून पसीने की कमाई से स्वास्थ्य बीमा कराते हैं, ताकि कोई दुर्घटना या बीमारी होने पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके और ईलाज हेतु समय पर पैसा प्राप्त हो सकें। लेकिन निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनियां तरह-तरह का बहाना बनाकर आमजन को घुमाती रहती है। इसके कारण बीमारी के ईलाज हेतु बीमा होने के बावजूद उन्हें अपनी कीमती जमीन सोने और चांदी बेचकर ईलाज कराना पड़ता है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पर विचार करते हुए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि इन निजी बीमा कम्पनियों पर मॉनीटरिंग हेतु शासन स्तर पर प्रयास करना चाहिए, कोई कदम उठाया जाना चाहिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ने वाकइ में हमारे आयुष्मान योजना पर ध्यानाकर्षण नहीं लगाया था। आपने इस ध्यानाकर्षण को स्वीकार कर लिया था, इसलिए जवाब दिया है। बाकी जिस बात को कह रही थीं, माननीय सदस्या कन्ट्रोलिंग करने के लिए कह रही हैं। वैसे निजी क्षेत्र में मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनियां हैं, भारत सरकार की निजी बीमा कम्पनियों पर नियंत्रण भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा किया जाता है। आई.आर.डी.ए. के द्वारा ही बीमा कम्पनियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, उनका नवीनीकरण किया जाता है, संशोधन करते हैं, पंजीयन रद्द करते हैं तथा कार्यवाही करने का पूरा अधिकार उनके पास है। इसमें राज्य सरकार के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास किसी प्रकार कन्ट्रोलिंग अथारिटी या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। परन्तु यह बात जरूर है कि यदि कहीं से कोई शिकायत आयेगी तो हम 'इरडा' भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारत सरकार के पास भेज देंगे और उसमें जो भी निर्णय होगा, वह करेंगे, चूंकि यह संघीय ढांचे का मामला है, इसलिए राज्य सरकार उस पर डायरेक्ट कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री सुशांत शुक्ला :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में आयुष्मान योजना का विषय आया तो मैं आपके माध्यम से उनका ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूं कि अपोलो अस्पताल

बिलासपुर में स्थित है। जमीन छत्तीसगढ़ की है, उसमें भवन एस.ई.सी.एल. का है और गुंडई पूरी अपोलो की चलती है। उसने 25 वर्षों में आयुष्मान कार्ड का आज तक पंजीयन नहीं कराया। जब-जब शासन प्रशासन को इस बात पर ध्यानाकर्षण कराया गया, मैंने स्वयं विधायक होने के बाद पत्राचार किया है। वहां पर प्रशासन के जो नामांकित अधिकारी सी.एम.ओ. हैं, वह सिर्फ पत्र भेजकर इतिश्री कर लेते हैं। वह एस.ई.सी.एल. से पंजीकृत है, वह एन.टी.पी.सी. रेलवे सेल से पंजीकृत है और सी.जी.एच.एस. जैसी योजनाओं तक को वह वहां पर इलाज की सुविधा नहीं देता है। आयुष्मान कार्ड को तो वह लेता ही नहीं, भगा देता है और उसका पंजीयन भी आज दिनांक तक नहीं है और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस आवंटन के तहत वह भूमि प्राप्त करके भवन में वहां अस्पताल चला रहा है, वहां पर अवैध तरीके से कैंसर इंस्टीट्यूट चलाता है, वहां पर अवैध तरीके से नर्सिंग कॉलेज चलाता है। 200 बेड की अनुमति के बाद 250 से 300 बेड की अतिरिक्तता के साथ वह अस्पताल चलता है, लेकिन मेरे को इस बात का बहुत खेद है कि प्रशासन का 1 रूपये का नियंत्रण उस अस्पताल के ऊपर नहीं है कि आयुष्मान जैसे गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजना का लाभ मिल सके। आज उन्होंने वक्तव्य में कहा कि ऐसी कोई कोताही नहीं बरती जाती तब मैं आपके माध्यम से उनका ध्यानाकर्षण करा रहा हूं कि अपोलो बिलासपुर के विरुद्ध कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, ध्यानाकर्षण हो गया। आपको जवाब की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, आपके जवाब में आ गया है। कठोर कार्रवाई करिए। आप बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- अध्यक्ष महोदय जी, बस आयुष्मान कार्ड के तहत ही ध्यानाकर्षण आदरणीय महोदय जी का करना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप सिर्फ ध्यानाकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई नोटिस नहीं है मगर चूंकि मंत्री जी यहां पर जवाब देने के लिए खड़े हैं तो ध्यानाकर्षित करा सकते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी-जी, बस उसी विषय पर एक लाइन यही बोलना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से अस्पताल आज भी हैं जिस पर आयुष्मान कार्ड वह स्वीकार नहीं करते हैं। आयुष्मान कार्ड की जो योजना है, आज भी वहां पर क्रियान्वित नहीं है तो निवेदन यही करूंगी कि एक बार ऐसे अस्पतालों का या तो सर्वे हो जाए और क्या कारण है और कितने दिनों से आयुष्मान कार्ड किस कारण से नहीं चल रहा है बस इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक।

समय :
2.32 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. श्री रोहित साहू
3. श्रीमती अनिला भेंडिया
4. श्री अटल श्रीवास्तव
5. श्री रिकेश सेन

समय :
2.33 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 09, लुंड्रा के सदस्य श्री प्रबोध मिंज

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 09, लुंड्रा के सदस्य श्री प्रबोध मिंज द्वारा नवंबर-दिसंबर, 2025 शीतकालीन सत्र में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है। उनका आवेदन इस प्रकार है :-

स्वास्थ्यगत कारणों से मैं शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा।

उनके आवेदन के परिपेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-09, लुंड्रा के सदस्य श्री प्रबोध मिंज द्वारा नवंबर-दिसंबर, 2025 शीतकालीन सत्र में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाए?

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(अनुज्ञा प्रदान की गई)

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-03, बैकुंठपुर के सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-03, बैकुंठपुर के सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े द्वारा नवंबर-दिसंबर, 2025 शीतकालीन सत्र में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है। उनका आवेदन इस प्रकार है :-

स्वास्थ्यगत कारणों से मैं शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा।

उनके आवेदन के परिपेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-03, बैकुंठपुर के सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े द्वारा नवंबर-दिसंबर, 2025 शीतकालीन सत्र में सभा की बैठक में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाए?

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(अनुज्ञा प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- प्रतिवेदन की प्रस्तुति। श्री अमर अग्रवाल। श्री पुरंदर मिश्रा जी, अमर अग्रवाल जी का प्रतिवेदन पढ़ेंगे।

समय :

2:35 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सोलहवां, सत्रहवां, अट्ठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां एवं उन्तीसवां प्रतिवेदन

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सोलहवां, सत्रहवां, अट्ठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां एवं उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(2) याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :

2:35 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री कुंवर सिंह निषाद
2. श्रीमती भावना बोहरा

समय :

2:36 बजे

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु एक सदस्य का निर्वाचन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को अपरान्ह 1:00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को अपरान्ह 2:00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-सी-1 में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को अपरान्ह 4:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को प्रात: 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-सी-1 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित "सूचना कार्यालय" से प्राप्त किये जा सकते हैं।

समय :

2:38 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की तिथि निर्धारित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

(अपराह्न 2 बजकर 39 मिनट पर विधान सभा मंगलवार 16 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 25, शक सम्वत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 15 दिसम्बर, 2025